राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून

क्रियान्वयन में सुधार की आवश्यकता

डॉ. सुब्रतो दत्ता
मुकेश कुमार बंसल

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र, जयपुर

सहयोग

उरमूल ज्योति संस्थान, नोखा, बीकानेर

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून

क्रियान्वयन में सुधार की आवश्यकता

डॉ. सुब्रतो दत्ता
मुकेश कुमार बंसल

Budget Analysis Rajasthan Centre (BARC)
बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र
P-1, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur - 302 005
Tel. / Fax : (0141) 238 5254
E-mail : info@barcjaipur.org
Website : www.barcjaipur.org

© बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र

प्रथम संस्करण : दिसम्बर, 2008

प्रकाशक : बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र

मुद्रक : कल्पना ऑफसेट,
सांगानेर, जयपुर मो. 9828150395

अनुक्रम

1. परिचय
2. ग्रामीण परिवार से संबंधित तथ्य
3. परिवारों की आय संबंधित जानकारी
4. सरकारी रोजगार योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को जानकारी
5. नरेगा के अंतर्गत दिये जाने वाले रोजगार के दिनों की संख्या
6. नरेगा के अंतर्गत भुगतान/मजदूरी
7. नरेगा योजना के अंतर्गत मजदूरी दर
8. नरेगा और अकाल राहत योजना की तुलना
9. नरेगा के अंतर्गत महिला श्रमिक एवं उनके अधिकार
10. नरेगा योजना के अंतर्गत बेराजगारी भत्ता
11. नरेगा के तहत कार्यात्मक पद्धति
12. निष्कर्ष

1. परिचय :

1 अप्रेल 2008 से नरेगा योजना भारत के सभी जिलों में क्रियांवित है। भारत जैसे एक अर्ध सामंतवादी तथा अर्ध पूंजीवादी देश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (NREGA/नरेगा) भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक उचित समाजवादी कदम कहा जा सकता है। यद्यपि हम लोग सदैव समानता तथा समान आय वितरण सिद्धांतों के बारे में चर्चा करते हैं यानि कि हम समाज के सभी वर्गों को रोजगार दिलवाकर उन्हें सम्मान से जीने का हक दिलाने की बात करते हैं। लेकिन इसी समान आय वितरण सिद्धांत को लागू करने के लिये जो कदम आज तक उठाये गये हैं उनमें से कोई भी कदम गरीब लोगों के निम्न जीवन स्तर को उपर उठाने में ज्यादा कामयाब नहीं रहा है। अर्थात जो उद्देश्य सरकार द्वारा पारित किसी योजना को लागू करने से पूर्व निर्धारित किये गये थे उन उद्देश्यों की प्राप्ति में वास्तविक रूप से आवश्यक सफलता आज तक नहीं मिली है। नरेगा, सरकार द्वारा पारित एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से आय पुर्नवितरण के पूर्वापेक्षा बेहतर परिणामों को ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर तक पहुंचाया जा सकता है। और इस योजना के अंतर्गत वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति तभी हो सकती है जबकि इस योजना को सुचारू रूप से एवं कड़े प्रबन्धों के अनुसार क्रियांवित किया जाये। अतः योजना के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुये योजना की क्रियांवितता प्रक्रिया पर लगातार कड़ी नजर बनाये रखना सरकार का परम कर्त्तव्य है। सरकार के साथ ही गैर सरकारी तथा सामाजिक संगठनों द्वारा भी इस प्रक्रिया पर लगातार कड़ी नजर बनाये रखना इन संस्थानों का दायित्व बनता है। इसी कर्त्तव्य को ध्यान में रखते हुये तथा एक संदर्भ केन्द्र होने के नाते बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र, जयपुर द्वारा नरेगा के अनेक महत्वपूर्ण पहलूओं पर नजर डालने के लिये जमीनी स्तर पर एक अध्ययन किया गया। इस अध्ययन में राजस्थान राज्य के 15 जिलों में 462 ग्रामीणों को शामिल किया गया। अध्ययन के अंतर्गत यह जानने का प्रयास किया गया कि – नरेगा योजना के अंतर्गत जॉब कार्ड हेतु आवेदन करने वाले ग्रामीणों को जॉब कार्ड वितरीत किया गया या नहीं ? ग्रामीणों को नरेगा योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा निर्धारित रोजगार के दिनों की संख्या, मजदूरी दर, बेरोजगारी भत्ता, महिला श्रमिकों के अधिकारों आदि से संबंधित जानकारी है या नहीं ? नरेगा योजना के अंतर्गत काम करने वाले ग्रामीणों को वास्तविक रूप से दी जाने वाली मजदूरी राशि रोजगार के दिनों की संख्या, बेरोजगारी भत्ता आदि। तथा सर्वे के अंतर्गत यह जानने का प्रयास किया गया कि नरेगा योजना के अंतर्गत होने वाली अनियमितताओं के बारे में ग्रामीणों को जानकारी है या नहीं ? साथ ही इन अनियमितताओं को रोकने हेतु ग्रामीणों द्वारा किये गये प्रयासों एवं परिणामों की और भी ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया है।

2. ग्रामीण परिवार से संबंधित तथ्य :

सारणी संख्या 1(अ) : परिवार में सदस्यों की कुल संख्या

परिवार में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है ?	1 सदस्य	2 सदस्य	3 सदस्य	4 सदस्य	5 सदस्य	6 या 6 से ज्यादा सदस्य	**कुल योग**
परिवारों की संख्या	9	35	49	68	86	215	**462**
प्रतिशत	1.95	7.58	10.60	14.73	18.61	46.53	**100**

सारणी संख्या 1(ब) : आयु के आधार पर परिवारों का वर्गीकरण

सदस्यों की संख्या	एक भी सदस्य नहीं	1 सदस्य	2 सदस्य	3 सदस्य	4 सदस्य	5 सदस्य	6 या 6 से ज्यादा सदस्य	**कुल योग** (परिवारों की संख्या)
परिवारों की संख्या (अवयस्क / 18 वर्ष से कम आयु वाले सदस्यों की संख्यानुसार)	89 (19.25)	46 (9.94)	94 (20.35)	93 (20.14)	83 (17.98)	24 (5.20)	33 (7.14)	**462 (100)**
परिवारों की संख्या (वयस्क / 18 वर्ष से ज्यादा आयु वाले सदस्यों की संख्यानुसार)	0 (0.00)	14 (3.03)	225 (48.70)	110 (23.81)	78 (16.88)	20 (4.33)	15 (3.25)	**462 (100)**

(कोष्ठक में प्रतिशत दर्शाये गये हैं)

सर्वप्रथम ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों में सदस्यों की संख्या एवं उनके आयु वर्ग के आधार पर सारणी सं. 1(अ) एवं सारणी सं. 1(ब) का अध्ययन किया जाये तो सर्वे से प्राप्त परिणामों के अनुसार लगभग 65 प्रतिशत ग्रामीण परिवार ऐसे पाये गये जिनमें 5 या 5 से अधिक सदस्य हैं। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अधिकतर ग्रामीण परिवारों में आज भी वृहत (बड़े) परिवारों की संख्या ज्यादा है। लगभग 20 प्रतिशत ग्रामीण परिवारो में कुल सदस्यों की संख्या 3 या 3 से कम पायी गयी। तथा सारणी सं. 1(ब) के अनुसार ग्रामीण परिवारों का वर्गीकरण वयस्क एवं अवयस्क सदस्यों की संख्या के आधार पर किया जाये तो देखा जा सकता है कि 2 वयस्क सदस्यों वाले परिवारों का प्रतिशत सर्वाधिक पाया गया जो कि लगभग 49 प्रतिशत हैं एवं लगभग 24 प्रतिशत परिवारों में 3 वयस्क पाये गये। 5 या 5 से ज्यादा वयस्क सदस्यों वाले परिवारों का प्रतिशत बहुत कम पाया गया। अतः दोनों सारणियों का संयुक्त रूप से अध्ययन करने पर यह कहना उचित होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 5 से अधिक सदस्यों वाले बड़े परिवारों का प्रतिशत संभावित रूप से अधिक है। जिनमें से भी अवयस्क सदस्यों अर्थात अधिक बच्चों की संख्या वाले परिवारों का प्रतिशत ज्यादा पाया जाता पाया जाता है। जिनके भरण पोषण एवं प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इन ग्रामीणों को ऐसे आय स्त्रोतों की आवश्यकता रहती है जिनके द्वारा ये लोग (ग्रामीण) अपने घरेलु क्षेत्रों में ही अपने बच्चों की

परवरिश के साथ साथ आय उपार्जन भी कर सकें ताकि इन लोगों को अपने छोटे बच्चों को छोड़कर किसी दूर स्थित शहर या गांव में आजीविका कमाने हेतु न जाना पड़े। इसलिये नरेगा इन लोगों की जरूरतों एवं सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनायी गयी उपयुक्त योजना है जो कि सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण एवं सराहनीय कदम कहा जा सकता है।

3. परिवारों की आय संबंधित जानकारी :

सारणी सं. 2 का अध्ययन करने से यह पता चल रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्त्रोत है अकुशल कार्यों में मजदूरी। अर्थात गांवों में भूमिहीन, निरक्षर/अल्पशिक्षित लोगों की संख्या बहुतायत में पायी जाती है एवं कुछ ग्रामीणों के पास अजीविका का और कोई साधन न होने के कारण इन लोगों को मजबूरीवश अकुशल मजदूरी के कार्यों में संलग्न होना पड़ता है तथा इसके साथ ही खेती द्वारा आशानुरूप आय प्राप्त न होने के कारण कुछ छोटे व प्रांतीय किसान भी इस प्रकार के अकुशल मजदूरी कार्यों में सलंग्न हो जाते हैं। सर्वे से प्राप्त परिणामों के अनुसार 67 प्रतिशत से भी ज्यादा ग्रामीण लोग मजदूरी पर निर्भर पाये गये जिन्हे रोजगार उपलब्ध करवाना सरकार का दायित्व है। जैसा कि सारणी सं. 2 में बताया गया है कि ग्रामीण परिवारों में पहले से चले आ रहे कार्यों जैसे कृषि, पशुपालन आदि में आशानुरूप आय न होने के कारण इन कार्यों (कृषि, पशुपालन, अन्य आदि) के साथ साथ मजदूरी में भी संयुक्त रूप से संलग्न परिवार 15 प्रतिशत से ज्यादा पाये गये। कुल मिलाकर, सर्वे से प्राप्त परिणामों के अनुसार (सारणी सं. 2 के आधार पर) लगभग 68 प्रतिशत ग्रामीण परिवार ऐसे पाये गये जो कि नियमित या अनियमित रूप से मजदूरी संबंधित कार्यों से जुड़े हुये हैं।

सारणी संख्या 2 : आय स्त्रोतों के आधार पर परिवारों का वर्गीकरण

आपकी आय का स्त्रोत क्या है ?	परिवारों की संख्या	प्रतिशत
कृषि	129	27.92
पशुपालन	7	1.52
मजदूरी	241	52.16
कृषि + मजदूरी	52	11.26
कृषि + पशुपालन	2	0.43
कृषि + मजदूरी + पशुपालन	17	3.68
कृषि + अन्य	4	0.87
पशुपालन + मजदूरी	2	0.43
मजदूरी + अन्य	1	0.22
अन्य	3	0.65
बेरोजगार	4	0.86
कुल योग	**462**	**100**

लेकिन नरेगा के अंतर्गत सरकार द्वारा ऐसा कोई कठोर कानून या नियम नहीं बनाया गया है कि इस योजना के अंतर्गत केवल उन्हीं ग्रामीणों को जॉब कार्ड या रोजगार मिलेगा जो कि केवल मजदूरी संबंधित कार्यों से जुड़े हुये हैं एवं बाकी अन्य ग्रामीणों को नरेगा योजना में कोई रोजगार नहीं दिया जायेगा। बल्कि नरेगा योजना के अंतर्गत निर्धारित नियमों के अनुसार इस योजना में काई भी ग्रामीण जॉब कार्ड एवं काम हेतु आवेदन कर सकता

हैं। पिछले कई वर्षों से शोध परिणामों से यह तो साबित हो गया है कि कृषि अब पहले जैसा लाभदायक आजीविका का साधन नहीं रहा है। क्योंकि पिछले कुछ समय से कई कारणों से कृषि द्वारा प्राप्त आय में उत्तरोतर कमी हो रही है जिसके साथ ही एक ग्रामीण कृषक परिवार में सदस्य संख्या ज्यादा होने पर तो उस परिवार हेतु समस्याएं और भी अधिक जटिल हो जाती है। इसलिये खासतौर से मजदूरी कार्यों पर आधारित नरेगा योजना के अंतर्गत ग्रामीणों द्वारा मांगे जाने पर उन्हें काम मिल पा रहा है या नहीं, इसका विस्तृत अध्ययन हम आगे करेंगे।

सारणी संख्या 3 : मासिक आय के आधार पर परिवारों का वर्गीकरण

मासिक आय (रु. में)	परिवारों की संख्या	प्रतिशत
कोई आय नहीं	13	2.81
1000 रु. या इससे कम	108	23.38
1001–2000 रु. तक	262	56.71
2001–3000 रु. तक	54	11.69
3000 रु. से अधिक	22	4.76
कृषि आधारित	3	0.65
कुल योग	**462**	**100**

सर्वे से प्राप्त परिणामों पर आधारित सारणी सं. 3 का अध्ययन करने से यह तथ्य सामने आ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आय का स्तर बहुत कम पाया जाता है। सर्वे के अंतर्गत लगभग 83 प्रतिशत परिवार ऐसे पाये गये जिनकी मासिक आय 2000 रू. या इससे कम है। जिनमें से लगभग 23 प्रतिशत परिवारों की मासिक आय तो 1000 रू. या इससे भी कम पायी गयी। करीब 17 प्रतिशत ग्रामीण परिवार ऐसे पाये गये जिनकी मासिक आय 2000 रू. से अधिक है। अतः इन परिणामों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त आर्थिक समस्याओं का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है तथा यह देखा जा सकता है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का आय स्तर बहुत कम पाया जाता है जिसके कारण इन परिवारों का घर खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है जबकि अति आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है।

सारणी संख्या 4(अ) : 2000 रु. या इससे कम मासिक आय वाले परिवारों में कुल सदस्यों की संख्या

परिवार में सदस्यों की संख्या	1 सदस्य	2 सदस्य	3 सदस्य	4 सदस्य	5 या 5 से ज्यादा सदस्य	**कुल योग**
परिवारों की संख्या	8	33	43	62	237	**383**
प्रतिशत	2.08	8.62	11.23	16.19	61.88	**100**

सारणी संख्या 4(ब) : 2000 रु. या इससे कम मासिक आय वाले परिवारों में वयस्क सदस्यों की संख्या

परिवार में वयस्क सदस्यों की संख्या	1 वयस्क सदस्य	2 वयस्क सदस्य	3 वयस्क सदस्य	4 वयस्क सदस्य	5 या 5 से ज्यादा वयस्क सदस्य	**कुल योग**
परिवारों की संख्या	12	199	93	61	18	**383**
प्रतिशत	3.13	51.95	24.28	15.94	4.70	**100**

सारणी संख्या 4(स) : 2000 रु. या इससे कम मासिक आय वाले परिवारों में अवयस्क सदस्यों की संख्या

परिवार में अवयस्क सदस्यों की संख्या	एक भी अवयस्क सदस्य नहीं	1 अवयस्क सदस्य	2 अवयस्क सदस्य	3 अवयस्क सदस्य	4 अवयस्क सदस्य	5 या 5 से ज्यादा अवयस्क सदस्य	**कुल योग**
परिवारों की संख्या	82	37	79	69	68	**48**	**383**
प्रतिशत	21.40	9.66	20.62	18.03	17.75	12.54	**100**

2000 रू. मासिक आय के स्तर पर परिवारों में कुल सदस्यों की संख्या का सर्वे से प्राप्त परिणामों के आधार पर अध्ययन किया जाये तो सारणी सं. 4(अ) के अनुसार हम देखते है कि 2000 रू. एवं इससे कम मासिक आय वाले लगभग 83 प्रतिशत परिवारों (जैसा कि सारणी सं. 3 में बताया गया है) में 5 या 5 से ज्यादा सदस्यों वाले परिवारों का कुल प्रतिशत लगभग 62 प्रतिशत पाया गया। इन ग्रामीण एवं बड़े परिवारों में एक चौथाई से भी ज्यादा परिवारों की मासिक आय 1000 रू. या इससे से भी कम पायी गयी। सारणी सं. 4(ब) के अनुसार देखा जा सकताा है कि 2000 रु. या इससे कम आय वाले परिवारों में 5 या 5 से ज्यादा वयस्क सदस्यों वाले परिवारों का प्रतिशत बहुत कम (लगभग 5 प्रतिशत) पाया गया। अर्थात अधिकतर ग्रामीण परिवार ऐसे पाये गये जिनमें वयस्क सदस्यों की संख्या कम पायी जाती है। छोटे परिवारों अर्थात 3 या 3 से कम सदस्यों वाले परिवारों का कुल प्रतिशत 22 से भी कम पाया गया। तथा सारणी सं. 4(स) से यह स्पष्ट हो रहा है कि 2000 रू. या इससे कम मासिक आय वाले कुल परिवारों में से 48 प्रतिशत से अधिक परिवार ऐसे पाये गये जिनमें अवयस्क सदस्यों की संख्या 3 या 3 से ज्यादा है। जिनमें से लगभग 13 प्रतिशत परिवारों में तो अवयस्क सदस्यों की संख्या 5 से अधिक पायी गयी।

अतः सर्वे से प्राप्त परिणामों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आर्थिक संकट एवं प्राथमिक आवश्यकताओं की कमी से जुझ रहे ग्रामीण परिवारों के आय स्तर को बढ़ाने में नरेगा एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती है क्योंकि यह योजना अकुशल, निरक्षर/अल्पशिक्षित तथा अल्प आय वाले पैतृक व्यवसायों में संलग्न ग्रामीणों को रोजगार सुरक्षा गारंटी प्रदान करती है।

4. सरकारी रोजगार योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को जानकारी :

सारणी संख्या 5 : सरकारी रोजगार योजनाओं के बारे में जानकारी

सरकारी रोजगार योजनाओं के बारे में आपको जानकारी है या नहीं	व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशत
हां	290	62.77
नहीं	172	37.23
कुल योग	**462**	**100**

इसी प्रकार अगर हम इस बात पर गौर करें कि सरकार जो कि प्रतिवर्ष करोड़ों रू. ग्रामीणों हेतु अनेक रोजगार योजनाओं के अंतर्गत व्यय करती हैं, उन सरकारी रोजगार योजनाओं के बारे में इन ग्रामीणों को जानकारी है या नहीं तो सर्वे से प्राप्त परिणामों के आधार पर सारणी सं. 5 के अनुसार देखा जा सकता हैं कि 37 प्रतिशत से भी अधिक ग्रामीणों ने जवाब दिया कि उन लोगों को इन योजनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और इसी क्रम में आगे बढ़ने पर नरेगा जो कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा प्रस्तावित सबसे विस्तृत योजना है, के बारे में लोगों की जानकारी संबंधित आंकड़ों का अध्ययन करने पर सारणी सं. 6 के अनुसार परिणाम सामने आते हैं।

सारणी संख्या 6 : नरेगा योजना के बारे में जानकारी

नरेगा योजना के बारे में आपको जानकारी है या नहीं	व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशत
हां	216	46.75
नहीं	246	53.25
कुल योग	**462**	**100**

सारणी सं. 6 का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो रहा है कि नरेगा जैसी विस्तृत योजना के बारे में लगभग 53 प्रतिशत ग्रामीणों में जानकारी का अभाव पाया गया एवं जानकारी रखने वाले लगभग 47 प्रतिशत ग्रामीणों में से अधिकांश व्यक्तियों में केवल इतनी जानकारी पायी गयी कि सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को रोजगार उपलबध करवाया जाता है तथा इसके बदले उन्हें मजदूरी (भुगतान) दिया जाता है। अर्थात ग्रामीणों को नरेगा येाजना से जुड़ी मूलभूत एवं आवश्यक जानकारी जैसे कि इसके अंतर्गत दिये जाने वाले रोजगार के दिनों की संख्या, मजदूरी राशि, बेरोजगारी भत्ता आदि के बारे में जानकारी का अभाव पाया गया। जिसका विस्तृत अध्ययन आगे के चरणों में किया जायेगा।

इस तथ्य के अंतर्गत सर्वे से प्राप्त परिणामों का जिलेवार अध्ययन करने पर सारणी सं. 6(अ) के अनुसार देखा जा सकता है कि सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, जालोर आदि जिलों में 70 प्रतिशत से भी अधिक ग्रामीणों में नरेगा जैसी विस्तृत योजना के बारे में जानकारी का अभाव पाया गया। अतः इन परिणामों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सरकार द्वारा इस संदर्भ में समीक्षा करवाये जाना अति आवश्यक है कि आखिर इन ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा जैसी विस्तृत योजना के बारे में जानकारी का अभाव क्यों हैं ?

सारणी संख्या 6(अ) : नरेगा योजना के बारे में जानकारी का जिलेवार विश्लेषण (प्रतिशत में)

जिले का नाम	हां, जानकारी है	नहीं, जानकारी नहीं है	कुल योग
झालावाड़	87.50	12.50	100.00
बीकानेर	34.36	65.64	100.00
बांसवाड़ा	29.17	70.83	100.00
बाड़मेर	83.33	16.67	100.00
करौली	86.96	13.04	100.00
सिरोही	20.83	79.17	100.00
चित्तौड़गढ़	38.46	61.54	100.00
प्रतापगढ़	22.22	77.78	100.00
सवाईमाधोपुर	40.00	60.00	100.00
उदयपुर	10.53	89.47	100.00
जालोर	30.00	70.00	100.00
डुँगरपुर	80.00	20.00	100.00
जैसलमेर	48.00	52.00	100.00
भीलवाड़ा	100.00	0.00	100.00
टोंक	95.83	4.17	100.00

सर्वे से प्राप्त परिणामों के आधार पर सारणी सं. 7 के अनुसार लगभग 45 प्रतिशत ग्रामीणों ने जवाब दिया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि सरकार ने नरेगा योजना के अंतर्गत बी.पी.एल. और ए.पी.एल के बीच के अंतर को हटा दिया है अर्थात केवल 55 प्रतिशत ग्रामीणों में यह जानकारी पायी गयी कि सरकार ने नरेगा योजना के अंतर्गत ऐसा प्रावधान रखा है कि कोई भी ग्रामीण इस योजना में काम हेतु आवेदन कर सकता है फिर वह चाहे बी.पी.एल वर्ग में हो या फिर ए.पी.एल वर्ग में हो। लगभग 45 प्रतिशत ग्रामीणों में इस प्रकार की जानकारी का अभाव पाये जाना इस बात का प्रमाण है कि ग्रामीणों में नरेगा योजना से संबंधित अनेक जानकारियों का अभाव पाया जाता है। जिसके लिये सरकार का यह दायित्व है कि वह इन योजनाओं से संबंधित मूलभूत जानकारियों को ग्रामीणों तक उपलब्ध करवाये। जहां तक नरेगा के संचालन की बात करें तो वर्ष 2005–06 से संचालित नरेगा वर्तमान में देश के सभी जिलों में संचालित है। नरेगा योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया, जॉब कार्ड, रोजगार के दिनों की संख्या दी जाने वाली मजदूरी, बेरोजगारी भत्ता आदि से संबंधित सर्वे आधारित परिणामों एवं अनुमानों का अध्ययन अगले चरण किया जायेगा।

सारणी संख्या 7 : नरेगा में बी.पी.एल. और ए.पी.एल के बीच का अंतर नहीं है

क्या आपको पता है कि सरकार ने नरेगा योजना के अंतर्गत बीपीएल एवं एपीएल के बीच के अंतर को हटा दिया है	व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशत
हां	255	55.19
नहीं	207	44.81
कुल योग	**462**	**100**

5. नरेगा के अंतर्गत दिये जाने वाले रोजगार के दिनों की संख्या :

सारणी संख्या 8 : नरेगा के अंतर्गत एक ग्रामीण परिवार को कितने दिन का रोजगार दिया जाता है ?

रोजगार के दिनों की संख्या	जानकारी रखने वाले ग्रामीणों की संख्या	प्रतिशत
100 से कम दिनों का रोजगार	8	1.73
100 दिन का रोजगार	350	75.76
जानकारी नहीं है	104	22.51
कुल योग	**462**	**100**

सर्वे से प्राप्त परिणामों के आधार पर सारणी सं. 8 के अनुसार नरेगा के अंतर्गत दिये जाने वाले 100 दिनों के रोजगार से संबंधित जानकारी लगभग 76 प्रतिशत ग्रामीणों में पायी गयी। जबकि 22 प्रतिशत से ज्यादा ग्रामीणों में इस संबंधित जानकारी का अभाव पाया गया। और अगर यह देखा जाये कि नरेगा योजना से संबंधित इस प्रकार की प्रमुख जानकारी ग्रामीणों में क्यों नहीं है एवं सर्वे के अंतर्गत इन कारणों का अध्ययन किये जाने पर सारणी संख्या 8 (अ) के अनुसार परिणाम प्राप्त हुये।

सारणी संख्या 8 (अ) : नरेगा के अंतर्गत दिये जाने वाले रोजगार के दिनों की संख्या के बारे में जानकारी क्यों नहीं है ?

जानकारी न होने का कारण	व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशत
निरक्षरता	56	53.85
पंचायत में जाने पर भी सूचना नहीं दी गयी	13	12.50
उपरोक्त सभी कारण	35	33.65
कुल योग	**104**	**100**

सारणी सं. 8(अ) के अनुसार देखा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़ा वर्ग जो कि निरक्षर है, इन योजनाओं के प्रति जागरूकता न होने का यह एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन साथ ही कुल मिलाकर लगभग 46 प्रतिशत ग्रामीणों ने जवाब दिया कि उन लोगों के निरक्षर होने के साथ ही ग्राम–पंचायतों अथवा जनप्रतिनिधियों द्वारा इस प्रकार की सूचनाएं दिये जाना भी इस अनभिज्ञता का एक मुख्य कारण है। जिनमें 12 प्रतिशत से भी अधिक ग्रामीणों ने जवाब दिया कि ग्राम पंचायत या संबंधित विभाग में जाने के वाबजूद उन्हें इन योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। जबकि सरकार का यह दायित्व है कि इन निरक्षर/अल्पशिक्षित ग्रामीणों तक नरेगा जैसी योजनाओं के बारे मूलभूत एवं आवश्यक जानकारी ग्राम पंचायतों, जनप्रतिनिधियों अथवा संबंधित विभागों के माध्यम से पहुंचाये।

इस प्रकार ग्रामीणों की आर्थिक समस्याओं एवं हालतों को ध्यान में रखते हुये सर्वप्रथम यह पता लगाना अति आवश्यक है कि नरेगा के अंतर्गत सरकार द्वारा एक वर्ष की अवधि में एक ग्रामीण परिवार को दिये जाने वाला 100 दिन का रोजगार, आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे इन ग्रामीणों हेतु पर्याप्त है या नहीं तो सर्वे से प्राप्त परिणाम सारणी सं. 9 में दर्शाये गये हैं।

सारणी संख्या 9 : नरेगा के अंतर्गत दिये जाने वाला 100 दिन का रोजगार पर्याप्त है या नहीं ?

जवाब	व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशत
हां, पर्याप्त है	216	46.75
नहीं, पर्याप्त नहीं, है	246	53.25
कुल योग	**462**	**100**

सारणी सं. 9 के अनुसार 99 प्रतिशत से भी अधिक ग्रामीणों ने जवाब दिया कि नरेगा योजना के अंतर्गत दिये जाने वाला 100 दिन का रोजगार उनके परिवार के पालन पोषण के लिये आवश्यक जरूरतों को पूरा करने हेतु पर्याप्त नहीं है। अर्थात इन ग्रामीणों को अपने परिवार के पालन–पोषण हेतु नरेगा के अतिरिक्त अन्य आय स्त्रोतों की अथवा नरेगा योजना के अंतर्गत अधिक दिनों के रोजगार की आवश्यकता है। इसलिये सरकार को यह समझना चाहिये कि नरेगा योजना के अंतर्गत दिया जाने वाला 100 दिन का रोजगार ग्रामीण लोगों की प्राथमिक जरूरतों को पूरा करने हेतु अपर्याप्त है एवं इसके लिए इन लोगों को इस योजना के अंतर्गत एक वर्ष में 100 से अधिक दिनों के रोजगार की आवश्यकता है। और अगर देखा जाये कि आर्थिक संकट से जुझ रहे ग्रामीणों हेतु नरेगा योजना के अंतर्गत कितने दिन का रोजगार पर्याप्त होगा ताकि ये लोग अपने परिवार का पालन पोषण उचित ढंग से कर सकें तो सर्वे के अंतर्गत सारणी सं. 10 के अनुसार परिणाम प्राप्त हुये।

सारणी संख्या 10 : नरेगा योजना के अंतर्गत कितने दिनों के रोजगार की आवश्यकता है ?

दिनों की संख्या (नरेगा के तहत ग्रामीणों हेतु आवश्यक)	व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशत
100 दिनों तक के रोजगार की आवश्यकता	4	0.86
101–200 दिनों के रोजगार की आवश्यकता	284	61.47
200 से अधिक दिनों के रोजगार की आवश्यकता	174	37.67
कुल योग	**462**	**100**

सर्वे परिणामों पर आधारित सारणी सं. 10 से यह तथ्य उभरकर सामने आ रहे हैं कि 61 प्रतिशत से भी अधिक ग्रामीणों ने जवाब दिया कि उन्हें नरेगा योजना के तहत 101 से 200 दिनों तक के रोजगार की आवश्यकता है। जबकि लगभग 38 प्रतिशत लोगों ने जवाब दिया कि उन्हें नरेगा योजना के अंतर्गत 200 दिनों से अधिक दिनों के रोजगार की आवश्यकता हैं। अतः इन परिणामों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जिन 38 प्रतिशत परिवारों ने नरेगा योजना के अंतर्गत 200 से अधिक दिनों के रोजगार की आवश्यकता जतायी उसके कारणों के अंर्तगत यह हो सकता है कि शायद उनके परिवार की आवश्यकताएं अधिक हों या फिर उनके क्षेत्र में आर्थिक संसाधनों की कमी होने के कारण एवं अन्य कोई आय स्त्रोत न होने से ये लोग पूर्णतया नरेगा पर निर्भर रहना चाहते हों।

ग्रामीणों हेतु रोजगार के दिनों की आवश्यकता से संबंधित सर्वे परिणामों को अगर जिलेवार वर्गीकरण करके देखा जाये तो सारणी सं. 10(अ) के अनुसार सवाईमाधोपुर एवं चित्तौडगढ़ जिलों में लगभग 80 प्रतिशत ग्रामीण ऐसे पाये गये जिन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण करने हेतु एक वर्ष में 200 से अधिक दिनों के रोजगार की आवश्यकता जतायी। जबकि बांसवाड़ा एवं भीलवाड़ा जिलों में लगभग शत प्रतिशत ग्रामीणों ने नरेगा योजना के अंतर्गत एक वर्ष में 101 से 200 दिनों तक के रोजगार की आवश्यकता जतायी। जैसा कि सर्वे अध्ययन के अंतर्गत

पूर्व में भी बताया जा चुका है कि उदयपुर, झालवाड़, प्रतापगढ़ जैसे जिलों में जिनमें प्राकृतिक संसाधनों की कमी पायी जाती है, इनमें प्रत्येक में लगभग 75 प्रतिशत से अधिक ग्रामीणों ने नरेगा योजना के अंतर्गत एक वर्ष में 101 से 200 दिनों तक के रोजगार की आवश्यकता जतायी। इसके साथ ही सर्वे के अंतर्गत एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह भी उभरकर सामने आ रहा है कि नरेगा योजना के अंतर्गत ग्रामीणों द्वारा रोजगार के दिनों की आवश्यक संख्या का सीधा एवं प्रत्यक्ष संबंध उनके परिवार में सदस्यों की संख्या, ग्रामीणों का आय स्तर, निवास क्षेत्र में संसाधनों की उपलब्धता आदि पर निर्भर करता है। अतः राजस्थान जैसे राज्यों में जहां पर प्राकृतिक एवं आर्थिक संसाधनों का पर्याप्त रूप से अभाव पाया जाता है, वहां नरेगा जैसी योजनाओं की महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। अतः नरेगा जैसी सरकारी रोजगार योजनाओं को और अधिक सुलभ एवं जनोपयोगी बनाने हेतु इसमें संलग्न ग्रामीणों की दैनिक जरूरतों तथा जीवनयापन हेतु जरूरी प्राथमिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखना अति आवश्यक है।

सारणी संख्या 10(अ) : ''नरेगा योजना के अंतर्गत कितने दिनों के रोजगार की आवश्यकता'' का जिलेवार वर्गीकरण

(प्रतिशत में)

जिले का नाम	''100 दिनों तक के रोजगार की आवश्यकता'' वाले ग्रामीणों का प्रतिशत	''101—200 दिनों के रोजगार की आवश्यकता'' वाले ग्रामीणों का प्रतिशत	''200 से अधिक दिनों के रोजगार की आवश्यकता'' वाले ग्रामीणों का प्रतिशत	कुल योग
झालावाड़	7.63	73.14	19.23	100.00
बीकानेर	0.63	66.04	33.33	100.00
बांसवाड़ा	0.00	100.00	0.00	100.00
बाड़मेर	0.00	48.00	52.00	100.00
करौली	4.17	58.33	37.50	100.00
सिरोही	0.00	60.00	40.00	100.00
चित्तौड़गढ़	0.00	23.08	76.92	100.00
प्रतापगढ़	0.00	77.78	22.22	100.00
सवाईमाधोपुर	0.00	20.00	80.00	100.00
उदयपुर	0.00	84.21	15.79	100.00
जालोर	0.00	38.71	61.29	100.00
डूंगरपुर	0.00	55.56	44.44	100.00
जैसलमेर	0.00	64.00	36.00	100.00
भीलवाड़ा	0.00	100.00	0.00	100.00
टोंक	0.00	58.33	41.67	100.00

सारणी संख्या 11 : क्या कारण है कि नरेगा के अंतर्गत एक वर्ष में 200 दिन तक/200 से अधिक दिन का रोजगार चाहिये ?

क्र. सं.	रोजगार के दिनों की संख्या	कारण/जवाब	व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशत
1.	वर्ष में 200 दिनों तक का रोजगार चाहने वाले व्यक्ति	(i) बाकी समय में खेती एवं अन्य कार्य करने पड़तें है।	209	45.23
		(ii) 200 दिनों तक के रोजगार से संतुष्ट हैं।	79	17.10
2.	200 से अधिक दिनों का रोजगार चाहने वाले व्यक्ति	(i) घर खर्चा चलाने हेतु अधिक आय की आवश्यकता।	139	30.09
		(ii) कार्य हेतु भटकना नहीं पड़ता।	29	6.28
		(iii) अन्य कोई आय स्त्रोत नहीं।	6	1.30
3.	**कुल योग**		**462**	**100.00**

सर्वे के अंतर्गत जब ग्रामीणों से पूछा गया कि आखिर क्या कारण है जो कि उन्हें नरेगा योजना के अंर्तगत वर्ष के 356 दिनों में से लगभग 200 दिनों तक के रोजगार की आवश्यकता हैं तो एक वर्ष में 200 दिनों तक का रोजगार चाहने वाले 61 प्रतिशत ग्रामीणों (सारणी सं.10 के अनुसार) में से 45 प्रतिशत से अधिक (सारणी सं.11 के अनुसार) ग्रामीणों ने जवाब दिया कि वर्ष के बाकी समय में घर–घरेलू एवं खेती–बाड़ी के कार्यो हेतु इन लोगों को अतिरिक्त समय की आवश्यकता होती हैं। जबकि, दूसरी तरफ एक वर्ष में 200 से अधिक दिनों का रोजगार चाहने वाले लगभग 38 प्रतिशत ग्रामीणों (सारणी सं.10 के अनुसार) से पूछा गया कि आखिर क्या कारण है कि उन्हें नरेगा के अंतर्गत एक वर्ष में 200 से अधिक दिन के रोजगार की आवश्यकता है तो इन 38 प्रतिशत ग्रामीणों में से करीब 30 प्रतिशत ग्रामीणों ने जवाब दिया कि उन्हे अपने घर परिवार का खर्चा चलाने हेतु अधिक आय की आवश्यकता है जिसके कारण नरेगा में उन्हें एक वर्ष में 200 से अधिक दिनों का रोजगार के दिनों की आवश्यकता है। करीब 6 प्रतिशत ग्रामीणों ने कहा कि यदि उन्हे नरेगा के तहत वर्ष में 200 दिन का रोजगार मिलता है तो उन्हें किसी अन्य रोजगार की तलाश में दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। जबकि 1 प्रतिशत से ज्यादा ग्रामीणों ने यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उन लोगों के पास आय का कोई अन्य स्त्रोत न होने के कारण वे लोग पूर्णतया नरेगा योजना पर निर्भर हैं जिसके लिये उन्हें वर्ष में 200 दिन के रोजगार की आवश्यकता है। इस तथ्य के और अधिक स्पष्टीकरण एवं सत्यापन हेतु अगर सर्वे के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों में सदस्यों की संख्या एवं उनके द्वारा चाहे गये रोजगार के दिनों की संख्या के मध्य सम्बन्धों का अध्ययन किया जाये तो सारणी सं.12 के अनुसार परिणाम प्राप्त होते हैं।

सारणी संख्या 12 : ग्रामीणों के परिवारों में सदस्य संख्या एवं उनके लिये नरेगा के तहत रोजगार हेतु आवश्यक दिनों की संख्या

परिवार में कुल सदस्यों की संख्या → / नरेगा के तहत रोजगार के दिनों की आवश्यकता ↓	1 सदस्य	2 सदस्य	3 सदस्य	4 सदस्य	5 या 5 से ज्यादा सदस्य	**कुल योग** (रोजगार हेतु चाहे गये दिनों की संख्या के अनुसार)
वर्ष में 100 दिन तक का रोजगार पर्याप्त है	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.22)	0 (0.00)	3 (0.65)	**4 (0.87)**
वर्ष में 101–200 दिन रोजगार की आवश्यकता	3 (0.65)	17 (3.68)	30 (6.49)	43 (9.31)	191 (41.34)	**284 (61.47)**
200 से अधिक दिनों के रोजगार की आवश्यकता	6 (1.30)	18 (3.89)	18 (3.90)	25 (5.41)	107 (23.16)	**174 (37.66)**
कुल योग	**9 (1.95)**	**35 (7.57)**	**49 (10.61)**	**68 (14.72)**	**301 (65.15)**	**462 (100)**

सारणी सं. 12 के अनुसार यह परिणाम उभरकर सामने आ रहे हैं कि वर्ष में 200 से अधिक दिनों का रोजगार चाहने वाले लगभग 38 प्रतिशत ग्रामीणों में से सर्वाधिक 23 प्रतिशत उन ग्रामीणों का पाया गया जिनमें कुल सदस्यों की संख्या 5 या 5 से ज्यादा हैं। एवं सारणी सं. 12 के अनुसार सर्वे से प्राप्त परिणामों के आधार पर सर्वाधिक 41 प्रतिशत उन परिवारों का पाया गया जिनमें कुल सदस्य संख्या जिनमें 5 या 5 से ज्यादा हैं और उनके द्वारा नरेगा के अंतर्गत एक वर्ष में 101 से 200 दिनों तक के रोजगार की आवश्यकता व्यक्त की गयी। इसके विपरीत अगर छोटे परिवारों पर गौर किया जाये तो सारणी सं. 12 के अनुसार पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे परिवारों का प्रतिशत बहुत कम (लगभग 20 प्रतिशत) पाया जाता है और सारणी सं. 12 में दर्शाये गये परिणामों के अनुसार जैसे जैसे ग्रामीण परिवारों में सदस्यों की संख्या कम हो रही है वैसे वैसे ग्रामीणों के द्वारा नरेगा के अंतर्गत एक वर्ष में चाहे गये रोजगार के दिनों की संख्या भी कम होती जा रही है। अर्थात इन तथ्यों से कम से कम यह तो स्पष्ट हो गया है कि ग्रामीण परिवारों में सदस्य संख्या एवं उनके द्वारा नरेगा के तहत एक वर्ष में चाहे गये दिनों की संख्या में सीधा एवं प्रत्यक्ष सम्बन्ध पाया जाता है। अर्थात परिवारों में सदस्य संख्या बढ़ाने के साथ साथ इनके पालन पोषण हेतु इन लोगो को अधिक आय की आवश्यकता होती है। अतः सरकार को यह समझना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां पर देश के करीब 72 प्रतिशत लोग निवास करते हैं और उनमें भी वृहत (बड़े) परिवारों का प्रतिशत ज्यादा पाया जाता है वहां पर इन ग्रामीणों हेतु नरेगा योजना की सफल क्रियांवितता होना अति आवश्यक है। जिसके जिये इस नरेगा योजना को केवल एक सांत्वना स्वरूप पारित योजना न रखकर ग्रामीणों की आजीविका के एक नियमित या संतुलित साधन के रूप में विकसित/प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण लोग नरेगा योजना के अंतर्गत वर्ष में अधिक से अधिक समय तक नियमित रूप से मजदूरी प्राप्त कर अपने परिवार के निकट (घरेलू क्षेत्र में) रहकर परिवार के सदस्यों का उचित ढंग से पालन पोषण कर सकें।

इसके बाद अगर हम बात करें कि ग्रामीणों के अनुसार नरेगा के तहत वर्ष के किस मौसम अथवा किस माह में काम दिये जाना ज्यादा सुविधाजनक एवं उचित होगा ताकि नरेगा योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभावित किया जा सकें तो सर्वे से प्राप्त परिणाम सारणी सं.13 में दर्शाये गये है।

सारणी संख्या 13 : नरेगा के अंतर्गत वर्ष के किन दिनों में सरकार द्वारा काम दिया जाना चाहिये ?

नरेगा के अंतर्गत वर्ष के किन दिनों में काम दिया जाना चाहिये ?	व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशत
खेती के दिनों को छोड़कर	347	75.11
12 महिनों में कभी भी	115	24.89
कुल योग	**462**	**100**

सर्वे परिणामों पर आधारित सारणी सं. 13 का अध्ययन करने से पता चल रहा है कि करीब 75 प्रतिशत ग्रामीणों ने जवाब दिया कि अगर नरेगा योजना के अंतर्गत वर्ष में खेती के दिनो को छोड़कर बाकी समय में रोजगार दिया जाये तो उनके (ग्रामीणों) लिये ज्यादा सुविधाजनक एवं उचित होगा। क्योंकि ग्रामीण लोग शायद यह जानते हैं कि नरेगा के अतंर्गत मिलने वाले एक वर्ष में केवल 100 दिन के रोजगार एवं उससे प्राप्त मजदुरी से वे लोग अपने परिवार का पालन पोषण उचित ढ़ंग से नहीं कर सकते हैं जिसके लिये ये लोग कृषि संबंधित कार्यो से भी जुड़े रहना चाहते हैं। इस जुड़ाव के पीछे एक प्रमुख कारण यह हो सकता है कि शायद कृषि के दिनों में कृषि संबंधित कार्यो (खेती, मजदूरी आदि) से जुड़े रहने पर इन ग्रामीणों को नरेगा की तुलना में अधिक आय/मजदूरी प्राप्त होती हो। जिसके लिये ये ग्रामीण लोग चाहते हैं कि नरेगा के अंतर्गत दिये जाने वाला रोजगार इन लोगों को खेती के दिनों को छोड़कर वर्ष के बाकी समय में दिये जाये तो इन ग्रामीणों के लिये ज्यादा उचित एवं सुविधाजनक रहेगा। क्योंकि इससे ये लोग खेती के समय खेती कर सकते हैं तथा उसके बाद बाकी बचे समय में अगर इन्हें नरेगा के तहत रोजगार मिल जाता है तो वर्ष में अधिकतर समय ये लोग रोजगार में लगे रहकर अधिक आय कमा सकते हैं एवं अपने परिवार का पालन पोषण उचित ढ़ंग से कर सकते हैं। साथ ही सर्वे के अंतर्गत लगभग 25 प्रतिशत लोगों ने जवाब दिया कि उन्हें नरेगा योजना के अंतर्गत वर्ष के 12 महिनों में कभी भी काम दिया जा सकता हैं अर्थात खेती के दिनों का उन लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ता हैं। इस प्रकार इन तथ्यों के आधार पर यह अनुमान लगाये जा सकते हैं कि शायद इन लोगों का पारम्परिक रूप से सदैव मजदूरी संबंधित कार्यों से जुड़ाव होना, भूमिहीन होना, कृषि हेतु अनुकूल परिस्थितियों (सिंचाई हेतु जल, कृषि योग्य भूमि आदि) का न पाये जाना, कृषि संबंधित कार्यों से कोई जुड़ाव नहीं होना या फिर एक अन्य कारण यह भी हो सकता है कि शायद इन लोगों के पास अन्य कोई आय स्त्रोत नहीं होने के कारण वर्ष भर में कभी भी नरेगा योजना में कार्य करने हेतु तत्पर रहते हों। इन सभी कारणों के अलावा अन्य और भी कई कारण हो सकतें हैं। अतः सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों एवं जन प्रतिनिधियों के माध्यम से आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे गरीब ग्रामीणों तक नरेगा जैसी योजनाओं से संबंधित जानकारी पहुंचाया जाना अतिआवश्यक है ताकि निरक्षर/अल्पशिक्षित ग्रामीण लोग इन रोजगार योजनाओ के अतंर्गत अधिक से अधिक संख्या में लाभांवित हो सकें।

6. नरेगा के अंतर्गत काम हेतु आवेदन :

सारणी संख्या 14 : नरेगा में काम हेतु आवेदन

क्या आपने नरेगा के अंतर्गत काम हेतु आवेदन किया ?	व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशत
हां	339	73.38
नहीं	123	26.62
कुल योग	**462**	**100**

सारणी संख्या 14(अ) : नरेगा में काम हेतु आवेदन का जिलेवार वर्गीकरण (प्रतिशत में)

जिले का नाम	हां, आवेदन किया	नहीं, आवेदन नहीं किया	कुल योग
झालावाड़	69.23	30.77	100.00
बीकानेर	74.84	25.16	100.00
बांसवाड़ा	50.00	50.00	100.00
बाड़मेर	84.00	16.00	100.00
करौली	79.17	20.83	100.00
सिरोही	91.30	8.70	100.00
चित्तौड़गढ़	80.00	20.00	100.00
प्रतापगढ़	61.11	38.89	100.00
सवाईमाधोपुर	92.00	8.00	100.00
उदयपुर	57.89	42.11	100.00
जालोर	57.14	42.86	100.00
डूंगरपुर	83.33	16.67	100.00
जैसलमेर	56.00	44.00	100.00
भीलवाड़ा	75.00	25.00	100.00
टोंक	84.00	16.00	100.00

जैसा कि सारणी सं. 14 से स्पष्ट है कि करीब 73 प्रतिशत ग्रामीणों ने जवाब दिया कि उन्होने नरेगा के तहत काम हेतु आवेदन किया। सर्वे से प्राप्त परिणामों के अनुसार आवेदन नहीं करने वाले लगभग 27 प्रतिशत ग्रामीणों में से करीब 2 प्रतिशत ग्रामीणों के पास जॉब कार्ड नहीं था और शेष 25 प्रतिशत लोगों ने शायद अन्य किसी कारणवश काम हेतु आवेदन नहीं किया। इन कारणो का संक्षिप्त अध्ययन पूर्व चरणों में किया जा चुका है। इस आवेदन प्रक्रिया को अगर जिलेवार वर्गीकरण करके देखा जाये तो सारणीं सं. 14(अ)के अनुसार जैसलमेर, उदयपुर, जालोर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जैसे जिलों में लगभग 40 प्रतिशत से भी अधिक लोगों ने जवाब दिया कि उन्होने काम हेतु आवेदन नहीं किया।

अब अगर यह देखा जाये कि इन ग्रामीणों ने नरेगा योजना में काम हेतु आवेदन क्यों नहीं किया तो इन कारणो के अंतर्गत यह माना जा सकता है कि शायद ये लोग कृषि संबंधित कार्यो या फिर अन्य किन्हीं कार्यों में व्यस्त रहने के कारण नरेगा में काम हेतु आवेदन नहीं कर पाये हों या फिर यह भी हो सकता है कि ग्राम पंचायतों द्वारा इन ग्रामीणों को नरेगा योजना के अंतर्गत काम हेतु आवेदन प्रक्रिया की पूर्ण या आवश्यक जानकारी नहीं दिये जाने के कारण ये लोग इस योजना में काम नहीं कर पायें हों। अतः सरकार द्वारा इस प्रकार के तथ्यों की समीक्षा करवाये जाना अतिआवश्यक है ताकि नरेगा जैसी योजनाओं के अंतर्गत उभरकर सामने आने वाली इस प्रकार की समस्याओं का समय पर निराकरण किया जा सके। अब अगर देखा जाये कि नरेगा योजना में काम हेतु आवेदन करने वाले ग्रामीणों ने वर्ष के किस समय में अथवा किस माह में काम हेतु आवेदन किया तो सर्वे में प्राप्त परिणाम सारणी सं.15 में दर्शाये गये हैं।

सारणी संख्या 15 : नरेगा में काम हेतु आवेदन वर्ष के किस समय में किया ?

नरेगा में काम हेतु आवेदन कब किया ? (जवाब)	व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशत
अप्रेल से जून माह के मध्य	313	67.74
जुलाई से मार्च माह के मध्य	26	5.63
आवेदन नहीं किया	123	26.63
कुल योग	**462**	**100**

सर्वे परिणामों पर आधारित सारणी सं.15 के अनुसार एक महत्वपूर्ण तथ्य उभरकर सामने आ रहा है कि करीब 68 प्रतिशत ग्रामीणों ने बताया कि उन्होने नरेगा योजना के तहत काम हेतु आवेदन अप्रेल से जून माह के बीच की अवधि में किया। सारणीं सं.15 के अनुसार अगर इन तीन महिनो की अवधि को छोड़ दिया जाये तो वर्ष की शेष अवधि में कुल ग्रामीणों में से मात्र 6 प्रतिशत के करीब ग्रामीणों ने नरेगा योजना के तहत काम हेतु आवेदन किया। तथा लगभग 27 प्रतिशत लोगो ने जवाब दिया कि उन्होने इस योजना के अंतर्गत काम हेतु आवेदन नहीं किया। सारणी सं.13 एवं सारणी सं.15 का संयुक्त रूप से अध्ययन किया जाये तो दोनो सारणियों में से एक महत्वपूर्ण तथ्य उभरकर सामने आता है कि नरेगा योजना से जुड़े अधिकांश ग्रामीणो का जुलाई से मार्च माह तक की अवधि में कृषि संबंधित कार्यो में जुड़ाव होने के कारण तथा वर्ष की शेष अवधि में अर्थात अप्रेल से जून माह तक आय का कोई अतिरिक्त स्त्रोत नहीं होने के कारण इन लोगो द्वारा नरेगा में काम हेतु आवेदन का प्रतिशत सर्वाधिक इन माह में पाया जाता है। अतः इन तीन माह की अवधि (अप्रेल से जून तक) में ग्रामीणों के पास कृषि संबंधित कार्य कम होते हैं तथा राजस्थान जैसे राज्यों में तो इस अवधि में जल संकट या सूखा/अकाल होने की संभावनाएं बढ़ जाने के कारण आय में कमी के साथ साथ और भी कई आपदाओं एवं समस्याओं का सामना ग्रामीणों को करना पड़ता है। जिनके निराकरण हेतु इन लोगों को आय प्राप्ति के अन्य स्त्रोतों की भी आवश्यकता होती है जिसके लिये इन लोगों के द्वारा नरेगा के तहत इस समयावधि में नरेगा के अंतर्गत काम हेतु आवेदन प्रतिशत ज्यादा पाया है। अतः सरकार को चाहिए कि इस प्रकार के प्राकृतिक कारणों एवं आपदाओं को ध्यान में रखते हुये ग्रामीणों हेतु उपयुक्त अवधि में इस योजना (नरेगा) के अंतर्गत उन लोगों को अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करवाया जाये क्योंकि इस समयावधि में ग्रामीणों को अतिरिक्त रोजगार स्त्रोतों की आवश्यकता होती है।

अगर देखा जाये कि नरेगा में काम हेतु आवेदन करने वाले ग्रामीणों को आवेदन के कितने दिनों बाद रोजगार मिला तो सर्वे परिणामों पर आधारित सारणी सं.16 के अनुसार करीब 53 प्रतिशत ग्रामीणों ने जवाब दिया कि उन्हें इस योजना के तहत काम हेतु आवेदन के 8 से 15 दिन के भीतर काम मिल गया। करीब 21 प्रतिशत ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें आवेदन वाले दिन अथवा उसके अगले दिन काम दे दिया गया। अर्थात इस योजना के अंतर्गत काम हेतु आवेदन करने वाले कुल ग्रामीणों में से 81 प्रतिशत के करीब व्यक्तियों ने अनुसार उन्हें आवेदन के 15 दिन भीतर रोजगार दे दिया गया। लेकिन यहां पर एक महत्वपूर्ण बात सामने यह आ रही है कि इस योजना में काम हेतु आवेदन करने वाले 12 प्रतिशत ग्रामीणों में से लगभग 9 प्रतिशत लोगों ने जवाब दिया कि उन्हें आवेदन के 30 दिन बाद काम दिया गया। साथ ही 6 प्रतिशत से भी अधिक ग्रामीणों को नरेगा योजना में काम हेतु आवेदन करने के बाद आज तक भी काम नहीं मिला। जबकि नरेगा योजना के अंतर्गत यह प्रावधान है कि आवेदन के 15 दिन के भीतर रोजगार न मिलने की दशा में उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा। अब यह देखना है कि कितने लोगों को इस बेरोजगारी भत्ते के बारे जानकारी है और कितने लोगों को यह भत्ता वितरीत किया गया है ? इसका अध्ययन योजना के अगले चरण किया गया है। इससे पूर्व अब हमें यह देखना है कि इन ग्रामीण लोगों को यह जानकारी है या नहीं कि इस योजना (नरेगा) के तहत आवेदन के 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध करवाना आवश्यक है।

सारणी संख्या 16 : आवेदन के बाद रोजगार प्राप्ति के दिनों की संख्या

काम हेतु आवेदन के कितने दिनों बाद आपको रोजगार मिला ?	व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशत
आवेदन वाले दिन/ उसके अगले दिन काम मिल गया	70	20.66
आवेदन के 2 से 7 दिन के भीतर काम मिल गया	26	7.67
आवेदन के 8 से 15 दिन के भीतर काम मिल गया	180	53.10
आवेदन के 16 से 30 दिन के भीतर काम मिल गया	11	3.24
आवेदन के 30 दिन बाद काम मिला	30	8.84
अभी तक काम नहीं मिला	22	6.49
कुल योग	**339**	**100**

(नोट : कुल 462 ग्रामीणों में से 123 ग्रामीणों ने नरेगा में काम हेतु आवेदन नहीं किया)

सर्वे से प्राप्त परिणामों के अनुसार सारणी सं.17 से अत्यंत रोचकपूर्ण तथ्य उभरकर सामने आ रहे हैं कि 48 प्रतिशत से भी अधिक ग्रामीणों ने जवाब दिया कि उन लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है कि नरेगा के तहत प्रावधानों के अनुसार आवेदक द्वारा नरेगा में काम हेतु आवेदन किये जाने के 15 दिन के भीतर काम दिया जाना आवश्यक हैं।

सारणी संख्या 17 : नरेगा में 15 दिन के भीतर रोजगार की उपलब्धता आवश्यक

क्या आपको जानकारी है कि नरेगा में आवेदन के 15 दिन के भीतर काम दिया जाना आवश्यक है ?	व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशत
हां	240	51.95
नहीं	222	48.05
कुल योग	**462**	**100**

जबकि इस तथ्य का जिलेवार वर्गीकरण करने पर सारणी संख्या 17(अ) के अनुसार जालोर, उदयपुर, प्रतापगढ़ आदि जिलों में लगभग 70 प्रतिशत ग्रामीणों में इस जानकारी का अभाव पाया गया। यद्यपि टोंक जैसे बेरोजगारी प्रधान जिले में करीब 96 प्रतिशत ग्रामीणों में इस प्रकार की जानकारी का पाया सराहनीय परिणाम कहा जा सकता है। लेकिन सर्वे के अनुसार कुल मिलाकर 50 प्रतिशत के करीब ग्रामीणों में इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी का अभाव पाया जाना चिंताजनक विषय है। तथा इससे आसानी से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को ग्राम पंचायत स्तर, संबंधित विभाग या जनप्रतिनिधियों द्वारा बहुत कम जानकारी उपलब्ध करवायी गयी है।

सारणी संख्या 17(अ) : ''कितने ग्रामीणों को जानकारी है कि नरेगा में काम हेतु आवेदन के 15 दिन के भीतर काम दिया जाना आवश्यक है'' का जिलेवार वर्गीकरण **(प्रतिशत में)**

जिले का नाम	हां, जानकारी है	नहीं, जानकारी नहीं है	कुल योग
झालावाड़	62.07	37.93	100.00
बीकानेर	40.62	59.38	100.00
बांसवाड़ा	45.83	54.17	100.00
बाड़मेर	75.86	24.14	100.00
करौली	77.78	22.22	100.00
सिरोही	50.00	50.00	100.00
चित्तौड़गढ़	53.85	46.15	100.00
प्रतापगढ़	27.78	72.22	100.00
सवाईमाधोपुर	52.00	48.00	100.00
उदयपुर	26.32	73.68	100.00
जालोर	34.78	65.22	100.00
डूंगरपुर	55.56	44.44	100.00
जैसलमेर	64.00	36.00	100.00
भीलवाड़ा	83.33	16.67	100.00
टोंक	95.83	4.17	100.00

अब अगर देखा जाये कि नरेगा के अंतर्गत काम हेतु आवेदन करने वाले ग्रामीणों को एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार मिला या नहीं तो सारणी सं. 18 के अनुसार देखा जा सकता है कि सर्वे के अंतर्गत मात्र 34 प्रतिशत के करीब ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें नरेगा योजना में काम हेतु आवेदन करने पर 100 दिन का रोजगार मिला। इसके अतिरिक्त 34 प्रतिशत से भी अधिक ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें इस योजना के अंतर्गत काम हेतु आवेदन करने के बाद 100 से कम दिन का रोजगार मिला है जो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण तथ्य तो यह है कि कुल ग्रामीणों में से करीब 5 प्रतिशत ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें इस योजना के अंतर्गत काम हेतु आवेदन करने के बाद आज तक रोजगार नहीं मिला। इसी तथ्य को जिलेवार वर्गीकरण करके देखा जाये तो सारणी सं.18 (अ) के अनुसार पता चलता है कि बीकानेर में करीब 61 प्रतिशत ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें इस नरेगा योजना के अतंर्गत 100 से कम दिन का रोजगार मिला है तथा सर्वे से प्राप्त परिणामों के अनुसार भीलवाड़ा, सवाईमाधोपुर एवं चित्तौडगढ़ जिलों में से प्रत्येक में करीब 40 प्रतिशत ग्रामीणों को नरेगा के तहत 100 से कम दिन का रोजगार मिला है। वैसे देखा जाये तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में नरेगा योजना "100 दिन की रोजगार गारंटी योजना" के नाम से जानी जाती है अर्थात ग्रामीणों को लगता है कि सरकार ने उनके आर्थिक हालातों को समझते हुये उन लोगों हेतु यह योजना पारित की है जिसके अंतर्गत उन्हें एक वर्ष में 100 दिन की रोजगार सुरक्षा गारंटी प्रधान करने का प्रावधान है, लेकिन सर्वे से प्राप्त परिणामों पर आधारित सारणी संख्या 18 का अध्ययन करने से यह पता चल रहा है कि कुल ग्रामीणों में से मात्र 34 प्रतिशत के करीब लोगों को ही इस योजना के तहत अभी तक एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिया गया है। अतः इस इन परिणामों से यह स्पष्ट हो रहा है कि जब सरकार ग्रामीणों

को एक वर्ष में मुश्किल से 100 दिन का रोजगार भी उपलब्ध नहीं करा पा रही है तो इस योजना के अंतर्गत लोगों की आवश्यकता एवं मांग के मुताबिक 100 से अधिक दिन का रोजगार (जैसे सारणी सं.10 एवं सारणी सं.11 में बताया गया है) उपलब्ध करा पाना तो शायद सरकार के लिए बहुत मुश्किल कार्य होगा। तो क्या इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार और सरकार की यह नरेगा योजना देश की गरीब जनता को आर्थिक संकटों से उबारने में उतनी सफल नहीं हो पा रही है जितना कि सरकार के जनप्रतिनिधि इस योजना के सफल होने का दावा कर रहे हैं।

सारणी संख्या 18 : नरेगा के अंतर्गत वास्तविक रुप से मिले रोजगार के दिनों की संख्या

नरेगा के अंतर्गत अभी तक आपको कितने दिन का रोजगार मिला है ?	व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशत
100 दिन से कम	158	34.20
100 दिन	159	34.41
अभी तक काम नहीं मिला	22	4.76
काम हेतु आवेदन नहीं किया	123	26.63
कुल योग	**462**	**100**

सारणी संख्या 18(अ) : '' नरेगा के अंतर्गत लोगों को कितने दिन का रोजगार मिला है ?'' का जिलेवार वर्गीकरण

(प्रतिशत में)

जिले का नाम	100 दिन से कम	100 दिन का रोजगार	अभी तक काम नहीं मिला	काम हेतु आवेदन नहीं किया	**कुल योग**
झालावाड़	11.54	53.85	3.85	30.76	100.00
बीकानेर	60.90	8.33	5.13	25.64	100.00
बांसवाड़ा	8.33	41.67	0.00	50.00	100.00
बाड़मेर	20.00	60.00	4.00	16.00	100.00
करौली	33.33	45.84	0.00	20.83	100.00
सिरोही	20.00	68.00	4.00	8.00	100.00
चित्तौड़गढ़	38.46	38.46	0.00	23.08	100.00
प्रतापगढ़	33.33	27.78	0.00	38.89	100.00
सवाईमाधोपुर	41.67	45.83	4.17	8.33	100.00
उदयपुर	5.26	52.63	0.00	42.11	100.00
जालोर	6.90	51.72	0.00	41.38	100.00
डूंगरपुर	44.44	38.89	0.00	16.67	100.00
जैसलमेर	0.00	52.00	4.00	44.00	100.00
भीलवाड़ा	50.00	25.00	0.00	25.00	100.00
टोंक	14.29	39.28	32.14	14.29	100.00

7. नरेगा के अंतर्गत भुगतान/मजदूरी :

सर्वे के अंतर्गत नरेगा में कार्य करने वाले ग्रामीणों को मिलने वाले भुगतान/मजदूरी जो कि इस योजना की एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है, के वितरण प्रक्रिया से संबंधित परिणामों का अध्ययन किया जाये तो कई रोचक तथ्य उभरकर सामने आतें हैं। सर्वप्रथम अगर देखा जाये कि ग्रामीणों को नरेगा में काम करने के बाद मिलने वाला भुगतान समय पर प्राप्त हो रहा है या नहीं तो सर्वे के अनुसार प्राप्त परिणाम सारणी सं.19 एवं 19(अ) में दर्शाये गये हैं।

सारणी संख्या 19 : नरेगा में काम करने के बाद भुगतान मिलने के दिनों की संख्या

नरेगा में किये गये कार्य का भुगतान कितने दिनों में मिलता है ?	व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशत
काम करने के 15 दिन के भीतर	78	23.00
काम करने के 16 से 30 दिन के भीतर	120	35.41
काम करने के 30 दिन बाद	86	25.38
निश्चित नहीं है (कभी भी मिल जाता है)	55	16.21
कुल योग	**339**	**100**

सारणी संख्या 19(अ) : ''नरेगा के अंतर्गत काम करने के बाद भुगतान मिलने के दिनों की संख्या'' का जिलेवार वर्गीकरण **(प्रतिशत में)**

जिले का नाम	15 दिन में	16 से 30 दिन के भीतर	काम करने के 30 दिन बाद	निश्चित नहीं है (कभी भी मिल जाता है)	काम हेतु आवेदन नहीं किया	कुल योग
झालावाड़	3.30	36.26	26.36	3.31	30.77	100.00
बीकानेर	14.87	35.15	0.00	24.33	25.65	100.00
बांसवाड़ा	8.33	20.84	20.83	0.00	50.00	100.00
बाड़मेर	42.00	11.46	30.54	0.00	16.00	100.00
करौली	18.85	18.83	15.08	26.43	20.83	100.00
सिरोही	46.00	25.09	20.91	0.00	8.00	100.00
चित्तौड़गढ़	7.69	46.15	23.08	0.00	23.08	100.00
प्रतापगढ़	27.78	16.67	16.66	0.00	38.89	100.00
सवाईमाधोपुर	10.57	17.63	52.89	10.58	8.33	100.00
उदयपुर	15.79	21.05	15.79	5.26	42.11	100.00
जालोर	24.69	6.17	18.51	9.25	41.38	100.00
डूंगरपुर	11.11	38.89	33.33	0.00	16.67	100.00
जैसलमेर	0.00	7.46	41.07	7.47	44.00	100.00
भीलवाड़ा	18.75	0.00	46.87	9.38	25.00	100.00
टोंक	10.71	48.21	21.43	5.36	14.29	100.00

सारणी सं.19 के अनुसार नरेगा योजना के तहत काम करने वाले ग्रामीणों में से 35 प्रतिशत से भी अधिक ग्रामीणों ने जवाब दिया कि उन्हें काम करने के बाद 16 से 30 दिन में भुगतान दिया जाता है। जबकि 25 प्रतिशत से भी अधिक ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें काम करने के 30 दिन बाद यह भुगतान दिया जाता है। अर्थात सर्वे से प्राप्त परिणामों के आधार पर नरेगा योजना में कार्य करने वाले लोगों में से लगभग 61 प्रतिशत ग्रामीणों के अनुसार उन्हें इस योजना के अंतर्गत कार्य करने के 15 दिन बाद भुगतान दिया जाता है। लगभग 14 प्रतिशत ग्रामीण ऐसे भी पाये गये जिन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले भुगतान के दिनों की संख्या निश्चित नहीं है अर्थात इन ग्रामीणों के अनुसार उन्हें यह भुगतान कभी 15 दिन के भीतर दे दिया जाता हे तो कभी 15 दिनों के बाद दिया जाता है। इस तथ्य को अगर जिलेवार वर्गीकरण करके देखा जाये तो सारणी सं. 19(अ) के अनुसार बाड़मेर और सिरोही जिलों में से प्रत्येक में लगभग 42 प्रतिशत से अधिक ग्रामीणों ने बताया कि उन लोगों को यह भुगतान 15 दिन में मिल जाता है। तथा टोंक, डूंगरपुर, चितौडगढ़ जिलों में से प्रत्येक में लगभग 40 प्रतिशत या इससे अधिक ग्रामीणों ने जवाब दिया कि उन्हें इस योजना में काम करने के फलस्वरूप मिलने वाला भुगतान 16 से 30 दिन में मिल जाता है। जबकि भीलवाड़ा, सवाईमाधोपुर जिलों में करीब 50 प्रतिशत लोगों को काम करने के 30 दिन के बाद भुगतान मिलना पाया गया। इस प्रकार सर्वे से प्राप्त परिणामों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि नरेगा में कार्य करने वाले अधिकांश ग्रामीणों को उनके द्वारा किय गये कार्य का भुगतान समय पर नहीं मिल पा रहा है जिसका सीधा एवं व्यापक असर उनके जीवन स्तर पर देखा जा सकता है। अतः सरकार को चाहिये कि वह इन ग्रामीणों के द्वारा नरेगा योजना के अंतर्गत किये गये कार्य का भुगतान इन लोगों को समय पर दिलवाने की समुचित व्यवस्था करे तथा इस कार्य हेतु संबंधित ग्राम पंचायतों एवं इससे संबंधित अन्य विभागों को पाबंद करें। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुये अगर यह देखा जाये कि भुगतान प्राप्ति में अनियमितता के साथ ही क्या इन लोगों को भुगतान प्राप्त करने में किसी अन्य प्रकार की असुविधाओं अथवा परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। इसके अंतर्गत सर्वे से प्राप्त परिणामों को सारणी संख्या 20 एवं सारणी सं. 20(अ) में दर्शाया गया है।

सारणी संख्या 20 : भुगतान प्राप्ति में होने वाली असुविधाएं

क्या भुगतान प्राप्ति में किसी प्रकार की असुविधा/परेशानी का सामना करना पड़ता है ?	व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशत
हां	176	51.92
नहीं	163	48.08
कुल योग	**339**	**100**

सारणी संख्या 20(अ) : असुविधा/परेशानी का प्रकार

भुगतान प्राप्त करने में किस प्रकार की असुविधा/परेशानी का सामना करना पड़ता है ?	व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशत
भुगतान समय पर नहीं मिलता है	171	97.15
बैंक में खाता खुलवाने का दबाव डाला जाता है	5	2.85
कुल योग	**176**	**100**

सारणी सं. 20 के अनुसार नरेगा योजना में कार्य करने वाले ग्रामीणों में लगभग 52 प्रतिशत ग्रामीणों ने जवाब दिया कि उन्हें इस नरेगा योजना के अंतर्गत भुगतान प्राप्त करनें में अनेक परेशानियों का सामना करना

पड़ता है जिनके अंतर्गत सारणी संख्या 20(अ) के अनुसार इन 52 प्रतिशत ग्रामीणों में से अधिकांश लोगों (लगभग 97 प्रतिशत) ने जवाब दिया कि उनके लिये भुगतान प्राप्ति में होने वाली सबसे बड़ी असुविधा भुगतान का समय पर न मिल पाना है क्योंकि इस एक असुविधा के कारण उन लोगों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार के तथ्यों द्वारा इन ग्रामीणों की व्यथा को समझना और भी आसान हो जाता है क्योंकि ग्रामीण लोग पहले से ही आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं और इसके साथ ही अगर उन्हें नरेगा के अंतर्गत किये गये काम का भुगतान समय पर नहीं मिल पाता है तो उन लोगों के लिये आर्थिक समस्याओं का बोझ दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा हो सकता है।

अगर यहां पर देखा जाये कि नरेगा के अंतर्गत काम करने पर ग्रामीणों को दिया जाने वाला भुगतान किन लोगों के द्वारा दिया जाता है अर्थात ग्रामीणों को नरेगा भुगतान किस माध्यम से दिया जा रहा है तो सर्वे से प्राप्त परिणामों के अनुसार सारणी सं. 21 से स्पष्ट हो रहा है कि इस योजना में काम करने वाले ग्रामीणों में से करीब 83 प्रतिशत ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें यह भुगतान मेट/सचिव/सरपंच के द्वारा वितरीत किया जाता है जबकि लगभग 2 प्रतिशत ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें यह भुगतान बैंक/पोस्ट ऑफीस से प्राप्त होता है। इन तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि नरेगा योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा निधारित नियमों के अनुसार यह भुगतान पिछले वर्ष तक मेट, सचिव या सरपंच के द्वारा दिये जाना आवश्यक था जबकि इस वर्ष से नरेगा योजना के अंतर्गत यह प्रावधान रखा है कि योजना में कार्यरत मजदूरों द्वारा किये गये कार्य का भुगतान ग्रामीण क्षेत्र स्थित बैंक/पोस्ट ऑफिस द्वारा किया जाये। सर्वे से प्राप्त परिणामों के अनुसार 13 प्रतिशत से भी अधिक लोगों को यह भुगतान ग्राम सेवक या पटवारी के द्वारा दिया जा रहा है जो कि इस योजना के अंतर्गत अनुचित है क्योंकि इस कार्य हेतु सरकार ने सचिव, सरपंच या मेट अथवा बैंक/पोस्ट ऑफिस को निर्धारित किया है।

सारणी संख्या 21 : नरेगा योजना में भुगतान वितरण किसके द्वारा किया गया ?

नरेगा योजना में किये गये कार्य का भुगतान किसके द्वारा किया गया ?	व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशत
मेट/सचिव/सरपंच द्वारा	288	84.96
ग्रामसेवक/पटवारी द्वारा	45	13.27
बैंक/पोस्ट ऑफिस द्वारा	6	1.77
कुल योग	**339**	**100**

8. नरेगा योजना के अंतर्गत मजदूरी दर :

अब यहां पर हम बात करते हैं नरेगा के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण विषय अर्थात मजदूरी दर पर सर्वे आधारित परिणामों की जिनके अनुसार सर्वप्रथम यह देखा जा सकता है कि ग्रामीणों को इस योजना के तहत दी जाने सरकारी मजदूरी दर से संबंधित कितनी जानकारी है एवं इस नरेगा योजना अंतर्गत काम करने पर इन लोगो को दी जाने वाली वास्तविक मजदूरी दर का तुलनात्मक अध्ययन सर्वे आधरित परिणामों के आधार पर आसानी से किया जा सकता है।

सारणी संख्या 22 : ग्रामीणों की जानकारी के अनुसार नरेगा के अंतर्गत सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी दर

राजस्थान में नरेगा के तहत सरकारी मजदूरी दर कितनी है ?	व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशत
30 रु.	1	0.22
50 रु.	2	0.43
73 रु.	154	33.33
100 रु.	156	33.77
मजदूरी दर के बारे में जानकारी नहीं है ?	149	32.25
कुल योग	**462**	**100**

सारणी सं. 22 से यह स्पष्ट हो रहा है कि 32 प्रतिशत से भी अधिक ग्रामीणों ने जवाब दिया कि उन्हे नरेगा योजना के तहत दी जाने वाली सरकारी मजदूरी के बारे में जानकारी नहीं हैं तथा इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि कुल मिलाकर लगभग 68 प्रतिशत ग्रामीणों ने यह जवाब दिया कि उन्हे इस बारे में जानकारी नहीं है, उनमें से करीब 33 प्रतिशत ग्रामीणों में इस योजना के तहत सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी दर के बारे में जानकारी 73 रू. पायी गयी जबकि इसकी वास्तविक दर 100 रू. प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से है। कुल मिलाकर करीब 33 प्रतिशत से अधिक ग्रामीणों में इस बारे में सही जानकारी पायी गयी कि नरेगा योजना के तहत दी जाने वाली मजदूरी की सरकारी दर 100 रू. है।

सारणी संख्या 22(अ) : नरेगा के अंतर्गत सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी दर के बारे में जानकारी रखने वाले ग्रामीणों का जिलेवार विश्लेषण **(प्रतिशत में)**

जिले का नाम	30 रु.	50 रु.	73 रु.	100 रु.	जानकारी नहीं है	कुल योग
झालावाड़	0.00	0.00	61.54	26.92	11.54	100.00
बीकानेर	0.75	0.00	6.71	62.67	29.87	100.00
बांसवाड़ा	0.00	0.00	12.50	41.67	45.83	100.00
बाड़मेर	0.00	0.00	68.00	8.00	24.00	100.00
करौली	0.00	0.00	42.31	49.36	8.33	100.00
सिरोही	0.00	0.00	56.04	9.34	34.62	100.00
चित्तौड़गढ़	0.00	0.00	69.24	15.38	15.38	100.00
प्रतापगढ़	0.00	6.02	18.04	18.05	57.89	100.00
सवाईमाधोपुर	0.00	0.00	68.00	12.00	20.00	100.00
उदयपुर	0.00	0.00	21.06	21.05	57.89	100.00
जालोर	0.00	0.00	36.36	9.09	54.55	100.00
डूंगरपुर	0.00	0.00	10.10	45.46	44.44	100.00
जैसलमेर	0.00	0.00	46.15	11.54	42.31	100.00
भीलवाड़ा	0.00	0.00	22.22	44.45	33.33	100.00
टोंक	0.00	0.00	71.96	11.37	16.67	100.00

और जब इस प्रकार के संदेहास्पद आंकड़ो का जिलेवार वर्गीकरण करके देखा जाये तो सारणी स. 22(अ) के अनुसार परिणाम प्राप्त होते हैं। जिसके अनुसार जालोर, उदयपुर,, प्रतापगढ़ जिलो में 50 प्रतिशत से भी ज्यादा लोगो ने बताया कि उन्हे नरेगा में काम करने पर मिलने वाली मजदूरी की सरकारी दर के बारे में जानकारी नहीं है। जबकि जैसलमेर डूंगरपुर और बांसवाड़ा जैसे पिछड़े जिलो में 40 प्रतिशत से ज्यादा लोगो में इस मजदूरी दर के बारे में जानकारी नहीं पायी गयी। कुछ क्षेत्रों में जानकारी रखने वाले ग्रामीणों का प्रतिशत अधिक पाये जाने के कारणों में यह माना जा सकता है किं शायद इन क्षेत्रों में नरेगा योजना अन्य क्षेत्रों की तुलना में पहले से चल रही हो या फिर शिक्षा का अच्छा स्तर पाया जाना भी एक कारण हो सकता हैं। तथा इनके अलावा एक महत्वपूर्ण कारण यह भी हो सकता है कि शायद इन क्षेत्रों में सामाजिक संगठनों की सक्रिय साझेदारी के कारण इन क्षेत्रो के ग्रामीणों को इस योजना से संबधिंत जानकारी दी गई हो।

यह एक अत्यंत विचारणीय तथ्य है कि नरेगा जैसी विस्तृत योजना, जिसके अंतर्गत लाखों करोड़ों ग्रामीण जुड़े हुये हैं सर्वे से प्राप्त परिणामों के अनुसार उन ग्रामीणों में से पचास प्रतिशत ग्रामीणों में भी इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा निर्धारित वास्तविक मजदूरी दर के बारे में जानकारी नहीं पायी गयी। इन तथ्यों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जब इन लोगों को इस योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले काम के बदले में मिलने वाली मजदूरी की सरकार द्वारा निर्धारित दर के बारे में जानकारी नहीं है तो इस योजना से संबंधित अन्य नियमों एवं सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों से संबंधित जानकारी का इन लोगों में नितांत अभाव पाया जाता है। साथ ही इन परिणामों के आधार पर अनुमान भी लगाया जा सकता है कि जब इन लोगों को इस योजना के तहत मिलने वाली वास्तविक मजदूरी दर के बारे में सही जानकारी नहीं है तो इन लोगों को नरेगा योजना के अंतर्गत इनके द्वारा किये गये कार्य का भुगतान भी वास्तविक दर से नहीं मिल रही होगा। अतः सारणी सं. 23 के अनुसार नरेगा योजना के अंतर्गत कार्य करने वाले ग्रामीणों को वास्तविक रूप से मिलने वाली मजदूरी के बारे में सर्वे आधारित परिणामों को बताया गया है।

सारणी संख्या 23 : नरेगा योजना के अंतर्गत काम करने पर वास्तविक रुप से दी जाने वाली मजदूरी

नरेगा योजना के अंतर्गत काम करने पर आपको कितनी मजदूरी दी जाती है ?	व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशत
10 रु. या इससे कम	2	0.59
11 से 20 रु. तक	4	1.18
21 से 30 रु. तक	10	2.95
31 से 40 रु. तक	25	7.37
41 से 50 रु. तक	34	10.03
51 से 60 रु. तक	74	21.82
61 से 70 रु. तक	40	11.81
71 से 80 रु. तक	53	15.64
81 से 90 रु. तक	5	1.47
91 से 100 रु. तक	70	20.65
आवेदन के बाद भी काम नहीं मिला	22	6.49
कुल योग	**339**	**100.00**

सारणी सं. 23 से स्पष्ट है कि नरेगा योजना के तहत काम करने वाले कुल ग्रामीणों में से 71 प्रतिशत से भी ज्यादा ग्रामीणों ने जवाब दिया कि उन्हे इस योजना के तहत काम करने पर 80 रू. या इससे भी कम मजदूरी मिलती है अर्थात काम करने वाले कुल व्यक्तियों में से मात्र 22 प्रतिशत के करीब लोगों ने जवाब दिया कि उन्हें 81 रू. से 100 के मध्य मजदूरी प्राप्त होती है। जब सारणी सं. 23 का संक्षिप्त रूप से अध्ययन किया जाये तो हम देखते हैं कि इस योजना के तहत काम करने वाले सभी ग्रामीणों में से लगभग 33 प्रतिशत लोगों ने जवाब दिया कि उन लोगों को मिलने वाली मजदूरी 51 से 60 रू. के बीच है तथा लगभग 10 प्रतिशत लोग ऐसे पाये गये जिन्हे यह मजदूरी 41 से 50 रू. के बीच प्राप्त हो रही है। इससे भी अधिक रोचकपूर्ण एवं विचारणीय तथ्य यह है कि 5 प्रतिशत के करीब ग्रामीणों ने जवाब दिया कि उन्हे मिलने वाली मजदूरी मात्र 30 रू. या इससे भी कम है जिनमें से 1 प्रतिशत से अधिक ग्रामीणों को मिलने वाली यह मजदूरी 11 से 20 रू. के मध्य पायी गयी। सर्वे के अंतर्गत नरेगा योजना में काम करने वाले लगभग 16 प्रतिशत ग्रामीण ऐसे भी पाये गये जिन्हे 71 रू. से 80 रू. के मध्य मजदूरी प्राप्त हो रही है। एवं 6 प्रतिशत से ज्यादा ग्रामीणों ने जवाब दिया कि उन्हें नरेगा योजना में आवेदन के बाद भी काम नहीं दिया गया। ओर अगर इस मजदूरी वितरण को जिलेवार वर्गीकरण करके देखा जये तो सर्वे परिणामों पर आधारित सारणी सं. 23(अ) के अनुसार जालोर जिले में लगभग 59 प्रतिशत ग्रामीण ऐसे पाये गये जिन्हे इस योजना में काम करने पर 50 रू. या इससे कम मजदूरी प्राप्त हो रही है तथा उदयपुर जिले में लगभग 91 प्रतिशत ग्रामीण ऐसे पाये गये जिन्हे इस योजना में काम करने पर प्राप्त मजदूरी 60 रू. या इससे कम हैं। झालावाड़ में लगभग 67 प्रतिशत ग्रामीण ऐसे पाये गये जिन्हे इस योजना के तहत काम करने पर 31 से 50 रू. के बीच मजदूरी प्राप्त हुई है। मात्र बीकानेर एवं टोंक जिले ऐसे पाये गये जिनमें क्रमशः 42 एवं 64 प्रतिशत लोगों ने बताया कि उन्हे इस योजना में काम करने पर 91 से 100 रू. के बीच मजदूरी प्राप्त हुई है।

इन तथ्यों के आधार पर यह तो स्पष्ट हो चुका है कि नरेगा योजना में शामिल एवं काम करने वाले अधिकांश ग्रामीणों को सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत निर्धारित वास्तविक राशि नहीं मिल पा रही है जिसमें से बहुत से लोगों को तो वास्तविक एवं प्रावधित राशि से आधी राशि भी नहीं मिल पा रही है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि नरेगा योजना में शामिल इन ग्रामीणों, जिनमें अधिकांशतः गरीब एवं निरक्षर/अल्पशिक्षित हैं, को इस योजना में काम करने के बाद भुगतान समय पर नहीं मिलना तो आम बात है लेकिन भुगतान के अंतर्गत मिलने वाली राशि बहुत कम मिलना भी एक अतिरिक्त एवं गहन समस्या है। अतः सरकार जो कि दावा कर रही है कि नरेगा योजना के अंतर्गत काम करने वाले मजदूरों को मिलने वाली मजदूरी, उचित समय पर एवं प्रावधित नियमों के अनुसार वास्तविक राशि के रूप में दी जा रही है तो सरकार का यह दावा सर्वे आघारित परिणामों के आधार पर पूर्णतया असत्य साबित होता हुआ प्रतीत हो रहा है तथा इस योजना के अंतर्गत इस प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु सरकार को कठोर एवं उचित निमय लागू करने चाहिये ताकि इन गरीब लोगों को इस योजना के तहत काम किये जाने पर मिलने वाली मजदूरी उचित समय पर एवं सरकार द्वारा निर्धारित वास्तविक राशि के रूप में दी जा सके।

सारणी संख्या 23(अ) : नरेगा योजना के अंतर्गत वास्तविक रुप से दी जाने वाली मजदूरी प्राप्त करने वाले ग्रामीणों का जिलेवार विश्लेषण **(प्रतिशत में)**

भुगतान की राशि → / जिले का नाम ↓	10 रु. या इससे कम	11 से 20 रु. तक	21 से 30 रु. तक	31 से 40 रु. तक	41 से 50 रु. तक	51 से 60 रु. तक	61 से 70 रु. तक	71 से 80 रु. तक	81 से 90 रु. तक	91 से 100 रु. तक	काम नहीं मिला	**कुल योग**
झालावाड़	0.00	0.00	0.00	33.33	33.33	11.12	0.00	0.00	0.00	22.22	0.00	100.00
बीकानेर	1.69	0.85	6.78	0.85	0.00	9.32	3.39	17.80	4.24	41.52	13.56	100.00
बांसवाड़ा	0.00	0.00	0.00	9.09	0.00	27.27	36.37	9.09	0.00	9.09	9.09	100.00
बाड़मेर	0.00	0.00	4.76	4.76	14.29	19.05	9.52	42.86	0.00	4.76	0.00	100.00
करौली	0.00	5.00	0.00	20.00	30.00	30.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	100.00
सिरोही	0.00	0.00	0.00	0.00	26.09	43.48	21.75	4.35	0.00	0.00	4.35	100.00
चित्तौड़गढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	11.11	55.56	22.22	11.11	0.00	0.00	0.00	100.00
प्रतापगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	25.00	50.00	0.00	0.00	8.33	0.00	100.00
सवाईमाधोपुर	0.00	0.00	0.00	4.55	0.00	31.83	27.27	31.82	0.00	0.00	4.55	100.00
उदयपुर	0.00	0.00	0.00	27.27	18.19	45.45	0.00	9.09	0.00	0.00	0.00	100.00
जालोर	0.00	0.00	5.88	23.53	29.41	23.54	5.88	11.76	0.00	0.00	0.00	100.00
डूंगरपुर	0.00	0.00	0.00	6.67	0.00	46.67	33.33	0.00	0.00	0.00	13.33	100.00
जैसलमेर	0.00	14.29	0.00	21.43	14.29	7.14	14.28	28.57	0.00	0.00	0.00	100.00
भीलवाड़ा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.10	16.67	50.56	0.00	0.00	16.67	100.00
टोंक	0.00	0.00	0.00	0.00	4.55	22.73	0.00	9.09	0.00	63.63	0.00	100.00

अगर यहां पर सरकार द्वारा पारित इस विस्तृत एवं रोजगार गांरटी सुरक्षा योजना, नरेगा की तुलना ग्रामीणों के आर्थिक विकास हेतु सरकार द्वारा प्रस्तावित अन्य राहत योजनाओं में से किसी एक योजना से की जाये तो नरेगा के कार्यक्षेत्र, एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में इसकी भूमिका का स्पष्टीकरण करना और भी अधिक आसान हो जाता है। इसके अंतर्गत हम नरेगा योजना की उपलब्धियों एवं इसमें व्याप्त खामियों का अध्ययन, सरकार द्वारा अकाल प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से जारी की गयी अकाल राहत योजना की तुलना करेंगें जिसका सर्वे आधारित परिणामों के अनुसार संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है।

सारणी संख्या 24 : अकाल राहत योजना के अंतर्गत काम हेतु आवेदन

क्या आपने अकाल राहत योजना के अंतर्गत मजदूरी की है ?	व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशत
हां	251	54.32
नहीं	211	45.68
कुल योग	**462**	**100**

अकाल राहत योजना के अंतर्गत आवेदन संबंधित जानकारी ली जाने पर सारणी सं. 24 के अनुसार लगभग 54 प्रतिशत ग्रामीणों ने स्वीकार किया कि उन्होंने इस योजना में काम/मजदूरी की है। तथा लगभग 46 प्रतिशत लोगों ने अकाल राहत योजना के अंतर्गत काम हेतु आवेदन नहीं किया जिसके अंतर्गत कारणों की समीक्षा की जाये तो शायद अधिकतर वही तर्क प्राप्त होंगे जो कि नरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त हुये हैं।

सारणी संख्या 24(अ) : अकाल राहत योजना के अंतर्गत किये गये कार्य के दिनों की संख्याा

अगर हां तो बताओ पिछले दो साल में आपको इस योजना के तहत कितने दिन का काम मिला ?	व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशत
25 दिन या इससे कम दिनों का रोजगार	21	8.37
26–50 दिन	53	21.12
51–75 दिन	130	51.79
75–100 दिन	37	14.74
100 दिन से ज्यादा	10	3.98
कुल योग	**251**	**100**

तथा इसके बाद जब अकाल राहत योजना में काम करने वाले लोगों से जानकारी ली गयी कि उन्हें इस योजना के अंतर्गत पिछले दो सालों में कितने दिनों का रोजगार मिला है तो सारणी संख्या 24(अ) के अनुसार सर्वाधिक लगभग 52 प्रतिशत लोगों का मत था कि उन्हें इस योजना के अंतर्गत पिछले दो वर्षों में 51 से 75 दिन का रोजगार मिला है एवं 21 प्रतिशत से भी अधिक लोगों ने बताया कि उन्हें पिछले साल में इस योजना के तहत 26 से 50 दिन का काम/रोजगार मिला है एवं 21 प्रतिशत से भी अधिक लोगों ने बताया कि उन्हें पिछले दो साल में इस योजना के अंतर्गत 25 दिन का काम/रोजगार मिला है जबकि 8 प्रतिशत से भी ज्यादा लोगों ने अकाल राहत योजना के अंतर्गत 25 दिन या इससे भी कम दिनों का रोजगार मिलना बताया।

इसी क्रम में आगे बढ़ते हुये अगर हम अकाल राहत योजना के अंतर्गत काम करने वाले ग्रामीणों को दी जाने वाली मजदूरी की चर्चा करें तो सर्वे परिणामों पर आधारित सारणी सं. 24(ब) के अनुसार इस योजना के अंतर्गत कार्य करने वाले ग्रामीणों में से 46 प्रतिशत ग्रामीणों को अकाल राहत योजना के अंतर्गत दी जाने वाली मजदूरी 51 से 60 रू. के मध्य पायी गयी जबकि 23 प्रतिशत से भी अधिक ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें यह मजदूरी 41 से 50 रू. के बीच मिली है, 11 प्रतिशत से भी ज्यादा लोग ऐसे पाये गये जिन्हे यह मजदूरी 61 से 70 रू. के बीच प्राप्त हुई है। 80 रू. से ज्यादा मजदूरी प्राप्त करने वाले मजदूरों का प्रतिशत मुश्किल से एक भी नहीं पाया गया एवं इस मजदूरी के निचले स्तर की और देखें तो पता चलता है कि 11 प्रतिशत से भी ज्यादा लोग ऐसे पाये गये जिन्होंने इस योजना के अंतर्गत 40 रू. या इससे भी कम मजदूरी पर काम किया है और इन 11 प्रतिशत ग्रामीणों में से लगभग 5 प्रतिशत ग्रामीणों को 30 रू. या इससे भी कम मजदूरी मिलना पाया गया।

सारणी संख्या 24 (ब) : अकाल राहत योजना के अंतर्गत मजदूरी

अकाल राहत योजना के तहत प्रतिदिन कितनी मजदूरी मिली ? (राशि रु. में)	व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशत
30 रु. या इससे कम	13	5.18
31 से 40 रु. तक	15	5.98
41 से 50 रु. तक	58	23.11
51 से 60 रु. तक	115	45.81
61 से 70 रु. तक	29	11.55
71 से 80 रु. तक	20	7.97
81 से 90 रु. तक	1	0.40
कुल योग	**251**	**100**

इस प्रकार कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अकाल राहत योजना के अंतर्गत मिलने वाली मजदूरी की बहुत कम राशि इन ग्रामीण के लिये किसी प्रकार की आर्थिक राहत प्रदान करने में शायद विफल रही है। सर्वे के अनुसार सारणी संख्या 24(ब) से प्राप्त परिणामों के आधार पर यह अनुमान लगाना बहुत आसान है कि इतनी कम राशि से सामान्य हालातों में भी एक बड़े परिवार का खर्चा चलाना मुश्किल है जबकि अकाल जैसी प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत तो इस राशि से एक ग्रामीण एवं वृहत परिवार का खर्चा चलाना तो नामुमकिन प्रतीत होता है।

अतः इन सभी परिणामों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सरकार द्वारा पारित अकाल राहत योजना के अंतर्गत पिछले दो सालों में मिलने वाले इतने कम दिनों के रोजगार एवं इसके अंतर्गत मिलने वाली मजदूरी की बहुत कम राशि से एक बड़े परिवार का गुजारा होना तो दूर एक अकेल व्यक्ति का गुजारा होना भी मुश्किल है। अतः इस प्रकार की समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा नरेगा योजना पारित की गयी जिसके तहत ग्रामीणों को एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिया जाना आवश्यक है लेकिन नरेगा योजना भी खामियों से परे नहीं रही है। अगर सर्वे आधारित परिणामों के अनुसार दोनों योजनाओं (नरेगा तथा अकाल राहत योजना) की परस्पर तुलना की जाये तो विभिन्न महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त होते हैं। इन परिणामों के आधार पर दोनों योजनाओं के पक्ष एवं विपक्ष पहलूओं को समझना और भी अधिक आसान हो जाता है। अतः अगले चरण में दोनों योजनाओं का परस्पर तुलनात्मक अध्ययन दर्शाया गया है।

9. नरेगा और अकाल राहत योजना की तुलना :

नरेगा योजना जो कि ग्रामीणों को एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रदान करने की गारंटी प्रदान करती है, इससे लोगों को यह आश्वासन मिल जाता है कि नरेगा योजना के अंतर्गत उन्हें एक वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार तो अवश्य मिलेगा। शायद यही कारण है कि सर्वे के अंतर्गत नरेगा में आवेदन करने वाले ग्रामीणों का प्रतिशत अकाल राहत योजना तुलना में अधिक पाया गया जो कि साबित करता है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में नरेगा योजना के प्रति जुडाव सरकार द्वारा प्रस्तावित अन्य रोजगार योजनाओं की तुलना में ज्यादा पाया जाता है। अगर इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत काम हेतु आवेदन करने वाले ग्रामीणों को मिलने वाले रोजगार के दिनों की संख्या एवं उससे प्राप्त मजदूरी की तुलना करें तो सर्वे के अनुसार प्राप्त परिणामों को सारणी सं. 25 एवं

सारणी सं. 26 में दर्शाया गया हैं। जिनमें से सर्वप्रथम अगर इन योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले रोजगार के दिनों की संख्या के बारे में देखा जाये तो सारणी सं. 25 के अनुसार नरेगा योजना के अंतर्गत सर्वाधिक 37 प्रतिशत व्यक्तियों ने जवाब दिया कि उन्हे इस योजना के अंतर्गत एक वर्ष मं 76 से 100 दिन का रोजगार/काम मिला है। तथा इसके दूसरी तरफ अकाल राहत योजना के अंतर्गत सर्वाधिक 28 प्रतिशत व्यक्तियों ने बताया कि उन्हें दो वर्षों की अवधि में अकाल राहत योजना में 51 से 75 दिनों का रोजगार मिला है। पहला बड़ा अन्तर तो यहीं पर देखा जा सकता है कि नरेगा योजना के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि में दिये गये रोजगार के दिनों की संख्या अकाल राहत योजना के अंतर्गत दो वर्ष की अवधि में दिय गये रोजगार के दिनों की संख्या से ज्यादा है। अर्थात नरेगा के अंतर्गत एक वर्ष की कम अवधि (अकाल राहत योजना के दो वर्षों की अवधि की तुलना में) भी अकाल राहत योजना से लाभांवित लोगों की तुलना में अधिक लोगों को रोजगार मिला है।

सारणी संख्या 25 : नरेगा/अकाल राहत योजना के अंतर्गत मिले रोजगार के दिनों की संख्या

नरेगा योजना के अंतर्गत काम हेतु आवेदन करने वाले ग्रामीणो ंको मिलने वाले रोजगार के दिनों की संख्या (एक वर्ष की अवधि में)			अकाल राहत योजना के अंतर्गत काम हेतु आवेदन करने वाले ग्रामीणों को मिलने वाले रोजगार के दिनों की संख्या (पिछले दो वर्ष की अवधि में)	
रोजगार के दिनों की संख्या	ग्रामीणों की संख्या	प्रतिशत	ग्रामीणों की संख्या	प्रतिशत
25 या इससे कम दिनों का रोजगार	60	12.99	21	4.54
26–50 दिन	58	12.55	53	11.47
51–75 दिन	29	6.28	130	28.14
75–100 दिन	170	36.80	37	8.01
100 दिन से ज्यादा	0	0.00	10	2.16
काम नहीं मिला	22	4.76	0	0.00
काम हेतु आवेदन नहीं किया	123	26.62	211	45.68
कुल योग	**462**	**100**	**462**	**100**

और अगर इस परिणाम को जिलेवार वर्गीकरण करके देखा जाये तो सारणी सं. 25(अ) के अनुसार मुख्य रूप से यह परिणाम उभरकर सामने आते हैं कि अधिकतर जिलों में ग्रामीणों को नरेगा योजना के अंतर्गत अकाल राहत योजना की तुलना में अधिक दिनों का रोजगार मिला है। सर्वे से प्राप्त परिणामों के अनुसार टोंक जैसे बेरोजगारी प्रधान जिलों में अकाल राहत योजना के अंतर्गत लगभग शत प्रतिशत लोगों को 76 से 100 दिनों का रोजगार मिलना पाया गया तथा इसी जिले में नरेगा योजना में मात्र 46 प्रतिशत लोगों को 76 से 100 दिन का रोजगार मिलना पाया गया। सारणी सं. 25 के अनुसार नरेगा के अंतर्गत लगभग 5 प्रतिश ग्रामीणों ने जवाब दिया कि उन्हे इस योजना में काम हेतु आवेदन करने के बावजूद रोजगार नहीं मिला है लेकिन अकाल राहत योजना के अंतर्गत पाया गया कि इसमें काम हेतु आवेदन करने वाले लगभग सभी ग्रामीणों को रोजगार मिला है।

सारणी संख्या 25(अ) : नरेगा/अकाल राहत योजना के अंतर्गत मिले रोजगार के दिनों की संख्या का जिलेवार विश्लेषण (प्रतिशत में)

दिनों की संख्या → जिले का नाम ↓	नरेगा में रोजगार प्राप्त करने वाले ग्रामीणों का प्रतिशत						अकाल राहत योजना में रोजगार प्राप्त करने वाले ग्रामीणों का प्रतिशत					
	25 दिन या इससे कम	26–50 दिन	51–75 दिन	75–100 दिन	काम नहीं मिला	**कुल योग**	25 दिन या इससे कम	26–50 दिन	51–75 दिन	75–100 दिन	100 दिन से ज्यादा	**कुल योग**
झालावाड़	5.56	5.56	5.56	77.76	5.56	100.00	0.00	5.26	57.90	36.84	0.00	100.00
बीकानेर	33.62	34.48	12.07	12.93	6.90	100.00	16.00	52.00	28.00	4.00	0.00	100.00
बांसवाड़ा	8.33	0.00	8.34	83.33	0.00	100.00	4.17	0.00	95.83	0.00	0.00	100.00
बाड़मेर	0.00	9.52	9.52	76.19	4.77	100.00	0.00	21.43	78.57	0.00	0.00	100.00
करौली	5.26	26.32	10.53	57.89	0.00	100.00	21.74	26.09	43.47	4.35	4.35	100.00
सिरोही	0.00	8.70	0.00	86.95	4.35	100.00	0.00	5.56	83.32	5.56	5.56	100.00
चित्तौड़गढ़	10.00	20.00	20.00	50.00	0.00	100.00	0.00	0.00	70.00	20.00	10.00	100.00
प्रतापगढ़	18.18	0.00	27.27	54.55	0.00	100.00	0.00	6.25	81.25	12.50	0.00	100.00
सवाईमाधोपुर	13.64	18.18	9.08	54.55	4.55	100.00	9.09	81.81	4.55	4.55	0.00	100.00
उदयपुर	9.09	0.00	0.00	90.91	0.00	100.00	0.00	25.00	75.00	0.00	0.00	100.00
जालोर	0.00	0.00	5.88	94.12	0.00	100.00	0.00	22.73	36.36	36.36	4.55	100.00
डूंगरपुर	20.00	13.33	6.67	60.00	0.00	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	50.00	100.00
जैसलमेर	0.00	0.00	0.00	92.86	7.14	100.00	10.53	0.00	21.05	21.05	0.00	100.00
भीलवाड़ा	66.67	0.00	0.00	33.33	0.00	100.00	80.00	0.00	10..00	10.00	0.00	100.00
टोंक	16.67	0.00	0.00	45.83	37.50	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

अगर यहां पर सरकार द्वारा पारित इस विस्तृत एवं रोजगार गांरटी सुरक्षा योजना, नरेगा की तुलना ग्रामीणों के आर्थिक विकास हेतु सरकार द्वारा प्रस्तावित अन्य राहत योजनाओं में से किसी एक योजना से की जाये तो नरेगा के कार्यक्षेत्र, एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में इसकी भूमिका का स्पष्टीकरण करना और भी अधिक आसान हो जाता है। इसके अंतर्गत हम नरेगा योजना की उपलब्धियों एवं इसमें व्याप्त खामियों का अध्ययन, सरकार द्वारा अकाल प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से जारी की गयी अकाल राहत योजना की तुलना करेंगें जिसका सर्वे आधारित परिणामों के अनुसार संक्षिप्त विवरण सारणी सं. 26 में दर्शाया गया है।

सारणी संख्या 26 : इन योजनाओं के अंतर्गत किये गये काम में आपको कितनी मजदूरी मिली ?

मजदूरी (रु. में)	नरेगा योजना के अंतर्गत किये गये काम हेतु कितनी मजदूरी मिली ? (राशि रु. में)		अकाल राहत योजना योजना के अंतर्गत किये गये काम हेतु कितनी मजदूरी मिली ? (राशि रु. में)	
	ग्रामीणों की संख्या	प्रतिशत	ग्रामीणों की संख्या	प्रतिशत
10 रु. या इससे कम	2	0.43	0	0.00
11 से 20 रु. तक	4	0.87	0	0.00
21 से 30 रु. तक	10	2.16	13	2.81
31 से 40 रु. तक	25	5.41	15	3.25
41 से 50 रु. तक	34	7.36	58	12.55
51 से 60 रु. तक	74	16.02	115	24.89
61 से 70 रु. तक	40	8.67	29	6.28
71 से 80 रु. तक	53	11.47	20	4.33
81 से 90 रु. तक	5	1.08	1	0.22
91 से 100 रु. तक	70	15.15	0	0.00
काम नहीं मिला	22	4.76	0	0.00
काम हेतु आवेदन नहीं किया	123	26.62	211	45.67
कुल योग	**462**	**100.00**	**462**	**100.00**

और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुये अगर इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत काम करने वाले ग्रामीणों को मिलने वाली मजदूरी की तुलना की जाये तो सारणी सं. 26 के अनुसार नरेगा योजना के अंतर्गत लगभग 15 प्रतिशत ग्रामीणों ने जवाब दिया कि उन्हें इस योजना के अंतर्गत काम करने पर 91 से 100 रू. के बीच मजदूरी प्राप्त हो रही है। अकाल राहत योजना के अंतर्गत सर्वाधिक 25 प्रतिशत के करीब ग्रामीणों ने जवाब दिया कि उन्हें इस येाजना के अंतर्गत काम करने पर 51 से 60 रू. के बीच मजदूरी प्राप्त हुई है तथा नरेगा में लगभग 16 प्रतिशत ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें इस योजना में 51 से 60 रू. के बीच मजदूरी प्राप्त हुई है। अगर इन परिणामों को जिलेवार वर्गीकरण करके देखा जाये तो सारणी संख्या 26(अ) के अनुसार प्रतापगढ़ तथा भीलवाड़ा जिलों में अकाल राहत योजना में काम करने पर क्रमशः 10 तथा 17 प्रतिशत ग्रामीणों ने जवाब दिया कि उन्हें इस योजना में काम करने पर

76 से 100 रू. के बीच मजदूरी प्राप्त हुई है। लेकिन नरेगा योजना के अंतर्गत 76 से 100 रु. मजदूरी प्राप्त करने वाले ग्रामीणों का प्रतिशत इन दोनों जिलों में शून्य पाया गया। इन दोनों जिलों में से प्रत्येक में लगभग 50 प्रतिशत ग्रामीणों को मिलने वाली मजदूरी 51 से 76 रू. के बीच पायी गयी। और अगर इन्हीं परिणामों के अंतर्गत निम्न मजदूरी स्तर पर अर्थात 25 रू. या इससे कम मजदूरी प्राप्त करने वाले लोगों की तुलना की जाये तो देखा जाता है कि बीकानेर, करौली, जालोर, तथा जैसलमेर जिलों में इस मजदूरी स्तर पर नरेगा में काम करने वाले ग्रामीणों का प्रतिशत, अकाल राहत योजना की तुलना में ज्यादा पाया गया। अर्थात नरेगा योजना में 25 रू. या इससे कम मजदूरी प्राप्त करने वाले ग्रामीणों का प्रतिशत, इसी मजदूरी स्तर पर अकाल राहत योजना में काम करने ग्रामीणों की तुलना में ज्यादा पाये जाना नरेगा योजना की सफल क्रियांवितता पर संदेह व्यक्त करता है।

सारणी संख्या 26 (अ) : नरेगा/अकाल राहत योजना के अंतर्गत मिलने वाली मजदूरी का जिलेवार विश्लेषण (प्रतिशत में)

मजदूरी राशि → जिले का नाम ↓	नरेगा में काम करने पर मजदूरी प्राप्त करने वाले ग्रामीणों का प्रतिशत						अकाल राहत योजना में काम करने पर मजदूरी प्राप्त करने वाले ग्रामीणों का प्रतिशत						
	25 रु. या इससे कम	26 से 50 रु. तक	51 से 75 रु. तक	76 से 100 रु. तक	निश्चित नहीं	आवेदन नहीं किया	25 रु. या इससे कम	26 से 50 रु. तक	51 से 75 रु. तक	76 से 100 रु. तक	निश्चित नहीं	आवेदन नहीं किया	कुल योग
झालावाड़	0.00	46.15	7.69	15.38	0.00	30.78	0.00	24.14	41.38	0.00	10.34	24.14	100.00
बीकानेर	3.82	3.82	26.11	35.67	5.10	25.48	1.11	7.78	6.67	1.11	8.33	75.00	100.00
बांसवाड़ा	0.00	4.17	41.67	4.16	0.00	50.00	5.56	0.00	66.66	0.00	22.22	5.56	100.00
बाड़मेर	0.00	20.00	60.00	4.00	0.00	16.00	0.00	0.00	60.87	0.00	8.70	30.43	100.00
करौली	4.17	37.50	33.33	4.17	0.00	20.83	0.00	36.36	50.00	0.00	9.09	4.55	100.00
सिरोही	0.00	24.00	68.00	0.00	0.00	8.00	0.00	14.81	37.04	0.00	22.22	25.93	100.00
चित्तौड़गढ़	0.00	7.69	61.54	0.00	7.69	23.08	0.00	21.43	57.14	0.00	0.00	21.43	100.00
प्रतापगढ़	0.00	11.11	50.00	0.00	0.00	38.89	0.00	9.52	28.58	9.52	42.86	9.52	100.00
सवाईमाधोपुर	0.00	4.00	88.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	68.18	0.00	13.64	18.18	100.00
उदयपुर	0.00	26.32	26.31	0.00	5.26	42.11	0.00	11.76	0.00	0.00	70.59	17.65	100.00
जालोर	3.45	31.03	24.14	0.00	0.00	41.38	3.33	26.67	33.33	0.00	6.67	30.00	100.00
डूंगरपुर	0.00	0.00	66.66	0.00	16.67	16.67	0.00	0.00	25.00	0.00	37.50	37.50	100.00
जैसलमेर	8.00	20.00	28.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	47.83	0.00	21.74	30.43	100.00
भीलवाड़ा	0.00	0.00	50.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	33.33	16.67	33.33	16.67	100.00
टोंक	0.00	3.85	23.08	57.69	0.00	15.38	0.00	2.50	37.50	0.00	15.00	45.00	100.00

10. नरेगा के अंतर्गत महिला श्रमिक एवं उनके अधिकार :

अगर यहां पर नरेगा योजना में कार्यरत महिला श्रमिकों एवं उनके अधिकारों की बात की जाये तो सारणी सं. 27 से यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश क्षेत्रों में (लगभग 97 प्रतिशत) नरेगा योजना के अंतर्गत कार्यरत श्रमिकों में से महिला श्रमिकों की संख्या 50 प्रतिशत से ज्यादा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना के अंतर्गत महिला श्रमिकों का जुड़ाव ज्यादा है जिसके लिये अनेक कारण हो सकते हैं जैसे कि हो सकता है कि शायद इन ग्रामीण परिवारों के पुरुष या तो किसी अन्य रोजगार से जुड़े हुये हों जिसके अंतर्गत इन्हे नरेगा योजना के तहत मिलने वाली मजदूरी से अधिक आय प्राप्त होती हो अथवा यह भी हो सकता है कि पलायनवृति के तहत ये लोग अन्यत्र स्थान पर किसी अन्य रोजगार से जुड़े हुये हो अथवा अन्य और भी कोई कारण हो सकते हैं जिसके कारण इन परिवारों की महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत मजदूरी कार्यों से जुड़ा रहना पडता हो।

सारणी संख्या 27 : ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा के अंतर्गत महिला श्रमिकों की प्रतिशतता

आपके क्षेत्र में नरेगा में कार्यरत मजदूरों में से औसतन महिला श्रमिक कितनी हैं	व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशत
कुल मजदूरों की संख्या का 50 प्रतिशत से कम	16	3.50
50 प्रतिशत से ज्यादा	446	96.50
कुल योग	**462**	**100**

तथा इसी क्रम में आगे बढने पर सारणी सं. 28 के अनुसार सर्वे के अंतर्गत लगभग सभी ग्रामीणों ने यह स्वीकार किया कि नरेगा योजना के अंतर्गत काम करने पर श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी महिला एवं पुरुष श्रमिकों हेतु समान है। करीब एक प्रतिशत से कम ग्रामीणों ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली मजदूरी महिला एवं पुरुष श्रमिकों हेतु समान नहीं है।

सारणी संख्या 28 : महिला श्रमिकों की मजदूरी पुरुष श्रमिका के समान

क्या महिला श्रमिकों को मिलने वाली मजदूरी पुरुष श्रमिकों के समान है ?	व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशत
हां	459	99.35
नहीं	3	0.65
कुल योग	**462**	**100**

अब अगर इसी क्रम में देखा जाये कि इस योजना में काम करने वाली महिला श्रमिकों में से छोटे बच्चों को साथ में लेकर आने वाली महिला श्रमिकों का कुल प्रतिशत कितना है तो सर्वे से प्राप्त परिणामों के अनुसार सारणी सं. 29 के आधार पर लगभग 89 प्रतिशत श्रमिकों ने जवाब दिया कि उनके क्षेत्र में कार्यरत अधिकांशतः महिला श्रमिक 6 वर्ष तक की आयु के छोटे बच्चों को अपने साथ में लेकर आती हैं क्योंकि उनके छोटे

बच्चे/नवजात शिशु विद्यालय में नहीं जा सकते है तथा उन छोटे बच्चों की देखभाल हेतु घर पर कोई बड़ा सदस्य न होने के कारण वे उन बच्चों को घर पर नहीं छोड़ सकती हैं।

सारणी संख्या 29 : कार्यस्थल पर महिला श्रमिकों के साथ आने वाले छोटे बच्चे

क्या आपके कार्य क्षेत्र में महिला श्रमिक 6 वर्ष तक की आयु के छोटे बच्चों को अपने साथ में लेकर आती हैं ?	व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशत
हां	411	88.96
नहीं	51	11.04
कुल योग	**462**	**100**

सारणी संख्या 29 (अ) : बच्चों की देखरेख हेतु महिला नर्स की व्यवस्था

यदि हां तो क्या उन बच्चों की देखभाल हेतु किसी महिला नर्स की व्यवस्था की गयी है ?	व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशत
हां	229	55.72
नहीं	182	44.28
कुल योग	**411**	**100**

और इसी कम में सर्वे के अंतर्गत जब ग्रामीणों से पूछा गया कि इन महिला श्रमिकों के साथ आने वाले छोटे बच्चों की अर्थात 6 वर्ष या इससे कम आयु वाले छोटे बच्चों की देखभाल हेतु कार्यस्थल पर महिला नर्स की व्यवस्था की गयी है या नहीं तो सर्वे से प्राप्त परिणामों पर आधारित सारणी सं. 29 से यह स्पष्ट हो रहा है कि 44 प्रतिशत से भी अधिक ग्रामीणों ने जवाब दिया कि इन महिला श्रमिकों के साथ आने वाले छोटे बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा हेतु कार्यस्थल पर कोई प्रबन्ध नहीं किये जाते हैं। जबकि सरकार द्वारा प्रस्तावित नरेगा योजना के अंतर्गत ऐसा प्रावधान है कि इस प्रकार महिला श्रमिकों के साथ आने वाले छोटे बच्चों की अर्थात 6 वर्ष या इससे कम आयु वाले छोटे बच्चों की कुल संख्या 5 या 5 से ज्यादा होने पर कार्यस्थल पर उनकी देखभाल एवं सुरक्षा हेतु विशेष रुप से महिला नर्स की व्यवस्था की जाये। और अगर इन परिणामों को जिलेवार वर्गीकरण करके देखा जाये तो सारणी सं. 29 के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उभरकर सामने आते हैं कि सर्वे के अंतर्गत बीकानेर तथा टोंक जिले ऐसे पाये गये जिनमें कमशः 90 तथा 69 प्रतिशत श्रमिकों ने जवाब दिया कि उनके क्षेत्र में महिला श्रमिकों के साथ आने वाले छोटे बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा हेतु किसी महिला नर्स की व्यवस्था नहीं की गयी है। बांसवाड़ा डूंगरपुर तथा भीलवाड़ा जिलों में लगभग 40 प्रतिशत ग्रामीणों ने जवाब दिया कि उनके क्षेत्र में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। सर्वे से ज्ञात हुआ कि जिन जिलों में इस प्रकार की अव्यवस्थाएं पायी गयी, वे क्षेत्र शैक्षिक, सामाजिक अथवा आर्थिक दृष्टि से अन्य जिलों की तुलना में पिछड़े हुये पाये गये। अर्थात जिन क्षेत्रों में जागरुकता का प्रमुख रुप से अभाव पाया जाता है उन क्षेत्रों में इस प्रकार की अव्यवस्था तुलनात्मक रुप से ज्यादा पायी जाती है। अतः कुल मिलाकर सर्वे से यह परिणाम उभरकर सामने आ रहे हैं कि जिन जिलों या क्षेत्रों में नरेगा के अंतर्गत इस प्रकार की अव्यवस्थाएं प्रमुख रुप से पायी गयी उनमें शिक्षा का स्तर कम पाये जाना, आदिवासी बाहुल्यता क्षेत्रों का पाया जाना, सामाजिक संगठनों की निष्क्रियता, सरकारी एवं राजनीति तंत्र में व्याप्त अनियमितताओं का पाया जाना आदि अनेक कारण ऐसे पाये गये जिनसे नरेगा जैसी योजनाएं अपने वास्तविक लक्ष्यों तक पहुंच पाने में सफल नहीं हो पा रही हैं।

सर्वे के आधार पर प्राप्त परिणामों से यह तो पहले ही स्पष्ट हो चुका है कि ग्रामीण परिवारों में बड़े परिवारों (जिनमें 5 या 5 से ज्यादा सदस्य हैं) का प्रतिशत ज्यादा पाया जाता है और उनमें से भी ज्यादा अवयस्क सदस्यों वाले परिवारों का प्रतिशत ज्यादा पाया जाता है। इस कारण ग्रामीण महिलाओं हेतु परिवार के छोटे बच्चों की देखभाल के साथ साथ मजदूरी करके उनका पालन पोषण करना अति आवश्यक हो जाता है। इसके लिये वे अपने छोटे बच्चों का अपने साथ काम पर ले जाती हैं। लेकिन नरेगा के कार्यस्थल पर सरकार के नियमों के अनुसार इनके बच्चों की देखभाल हेतु महिला नर्स की व्यवस्था नहीं किये जाने पर योजना के अंतर्गत महिला श्रमिकों की संख्या में कमी होने का यह एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। अतः सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत महिला श्रमिकों की भागीदारी बनाये रखने हेतु इस प्रकार की समस्याओं का निराकरण किये जाना अति आवश्यक है। जब नरेगा योजना में शामिल श्रमिकों से पूछा गया कि कार्यस्थल पर बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा हेतु सरकारी नियमों के अनुसार कोई बंदोबस्त न होने की शिकायत इन लोगों के द्वारा अधिकारियों या जनप्रतिनिधियों से की गयी या नहीं तो सर्वे के अंतर्गत प्राप्त परिणामों को सारणी सं. 29(स) में दर्शाया गया है।

सारणी संख्या 29(ब) : ''नरेगा के अंतर्गत क्या मजदूर महिलाओं के बच्चों की देखभाल हेतु महिला नर्स की व्यवस्था की गयी है ? ''– जिलेवार विश्लेषण **(प्रतिशत में)**

जिले का नाम	हां, व्यवस्था की गयी है	नहीं, व्यवस्था नहीं की गयी है	कुल योग
झालावाड़	81.82	18.18	100.00
बीकानेर	9.93	90.07	100.00
बांसवाड़ा	60.00	40.00	100.00
बाड़मेर	90.00	10.00	100.00
करौली	95.24	4.76	100.00
सिरोही	95.24	4.76	100.00
चित्तौड़गढ़	86.67	13.33	100.00
प्रतापगढ़	88.89.	11.11	100.00
सवाईमाधोपुर	78.57	21.43	100.00
उदयपुर	90.48	9.52	100.00
जालोर	90.32	9.68	100.00
डूंगरपुर	64.29	35.71	100.00
जैसलमेर	96.00	4.00	100.00
भीलवाड़ा	57.14	42.86	100.00
टोंक	31.25	68.75	100.00

सारणी संख्या 29(स) : बच्चों की देखभाल हेतु महिला नर्स की व्यवस्था न होने पर शिकायत

यदि कार्यस्थल पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है तो क्या आपने इस संदर्भ में कोई शिकायत की ?	व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशत
हां	21	11.54
नहीं	161	88.46
कुल योग	**182**	**100**

सारणी संख्या 29(द) : बच्चों की देखभाल हेतु महिला नर्स की व्यवस्था

यदि शिकायत की तो क्या परिणाम निकला ?	व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशत
कोई परिणाम नहीं निकला	15	71.42
शिकायत करने वाली महिलाओं को काम पर से हटा दिया गया	6	28.58
कुल योग	**21**	**100**

सारणी सं. 29(स) के अनुसार 88 प्रतिशत से भी अधिक श्रमिकों ने जवाब दिया कि इस अव्यवस्था के संबंध में उन्होंने कोई शिकायत नहीं की क्योंकि उन्हें शिकायत प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं है। करीब 12 प्रतिशत श्रमिकों के अनुसार इस संबंध में उन्होंने उच्चाधिकारियों अथवा जनप्रतिनिधियों से शिकायत की। और सर्वे के अंतर्गत जब इन ग्रामीणों से पूछा गया कि शिकायत करने के बाद क्या परिणाम निकला तो सारणी सं. 29(द) के अनुसार तीन चौथाई के करीब शिकायतों का कोई परिणाम नहीं निकला और एक चौथाई से भी अधिक शिकायत मामलों में शिकायत करने वाली महिला श्रमिकों को नरेगा योजना में काम पर से हटा दिया गया। यह बहुत ही शर्मनाक विषय की बात है कि नरेगा योजना से जुड़ी इन ग्रामीण क्षेत्रों की अधिकांशतः निरक्षर एवं गरीब परिवारों की महिलाओं को न केवल इनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है बल्कि इनके द्वारा विरोध या शिकायत करने पर उनको इस योजना से बेदखल कर दिया जाता है। इसके साथ ही ग्रामीण महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित किये जाने पर इन महिलाओं द्वारा किये गये विरोध को उत्पत्ति स्थल पर ही दबा दिया जाता है। अतः सरकार को चाहिये कि इस योजना कि अंतर्गत शिकायत प्रक्रिया संबंधित आवश्यक जानकारी, विशेष रूप से महिला श्रमिकों के अंतर्गत इन ग्रामीणों को होने वाली किसी भी प्रकार की समस्या एवं परेशानी के लिये शिकायत प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाया जाये। जिससे कि योजना के अंतर्गत शामिल श्रमिकों को उनके लिये निर्धारित अधिकारों के न मिलने पर ये गरीब लोग सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा सकें एवं इनको इस नरेगा योजना के अंतर्गत इनके पूर्ण अधिकारों की प्राप्ति हो सकें।

11. नरेगा योजना के अंतर्गत बेराजगारी भत्ता :

जैसा कि पहले भी सारणी सं.16, 17 एवं सारणी सं.18 में सर्वे से प्राप्त परिणामों के आधार पर बताया गया है कि बहुत कम ग्रामीणों में इस बात की जानकारी पायी गयी कि नरेगा योजना में आवेदक द्वारा काम हेतु आवेदन करने के 15 दिन की अवधि के भीतर तथा एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिया जाना आवश्यक है। प्रथम स्थिति के अनुसार अगर आवेदक को काम हेतु आवेदन तिथि से 15 दिन के भीतर रोजगार नहीं दिया जाता है तो उसके द्वारा काम हेतु आवेदन किये गये दिन से लेकर रोजगार मिलने के दिन तक की अवधि हेतु बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा। एवं दूसरी स्थिति के अनुसार आवेदक द्वारा एक वर्ष में 100 दिन के रोजगार हेतु आवेदन करने के बाद भी अगर उसे वर्ष में 100 दिन का रोजगार नहीं दिया जाता है तो उसे बेरोजगारी दिवसों अर्थात एक वर्ष में 100 से कम दिनों को रोजगार देने पर बाकी शेष दिनों का आवेदक को बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा। सर्वे के अनुसार यह भी साबित हो चुका है कि काम हेतु आवेदन करने वाले कुल ग्रामीणों में से बहुत से ग्रामीणों को इस नरेगा योजना के तहत काम नहीं मिल पाया अथवा एक वर्ष में 100 से कम दिनों का रोजगार दिया गया हैं। सरकार द्वारा नरेगा योजना के अंतर्गत निर्धारित नियमों के अनुसार इन ग्रामीणों को बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिये था लेकिन अब देखना यह है कि सर्वे के अंतर्गत कितने प्रतिशत ग्रामीणों में इस बेरोजगारी भत्ते से संबंधित जानकारी पायी गयी और अगर इस बेरोजगारी भत्ते के संबंध में उनकों जानकारी है तो कितने प्रतिशत ग्रामीणों ने इसके लिए आवेदन किया और कितने प्रतिशत ग्रामीणों को अभी तक बेरोजगारी भत्ता दिया गया है ? सर्वे से प्राप्त परिणामों के अनुसार

सारणी सं. 30 के आधार पर कुल ग्रामीणों में से मात्र 5 प्रतिशत के करीब ग्रामीणों में इस बेरोजगारी भत्ते संबंधित जानकारी पायी गयी। जबकि 95 प्रतिशत ग्रामीणों में इस संबंध में कोई जानकारी नहीं पायी गयी।

सारणी संख्या 30 : बेरोजगारी भत्ते के बारे में जानकारी

क्या आपको बेरोजगारी भत्ते के बारे में जानकारी है ?	व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशत
हां	23	4.98
नहीं	439	95.02
कुल योग	**462**	**100**

सारणी संख्या 30(अ) : बेरोजगारी भत्ते हेतु आवेदन

क्या आपने बेरोजगारी भत्ते हेतु आवेदन किया ?	व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशत
हां	0	0.00
नहीं	23	100.00
कुल योग	**23**	**100**

सारणी संख्या 30(ब) : नरेगा के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ते के बारे में जानकारी का जिलेवार विश्लेषण

(प्रतिशत में)

जिले का नाम	हां, जानकारी है	नहीं, जानकारी नहीं है	कुल योग
झालावाड़	7.14	92.86	100.00
बीकानेर	1.88	98.13	100.00
बांसवाड़ा	0.00	100.00	100.00
बाड़मेर	3.85	96.15	100.00
करौली	4.35	95.65	100.00
सिरोही	12.50	87.50	100.00
चित्तौड़गढ़	7.69	92.31	100.00
प्रतापगढ़	0.00	100.00	100.00
सवाईमाधोपुर	12.50	87.50	100.00
उदयपुर	16.67	83.33	100.00
जालोर	3.13	96.87	100.00
डूंगरपुर	10.00	90.00	100.00
जैसलमेर	0.00	100.00	100.00
भीलवाड़ा	0.00	100.00	100.00
टोंक	14.29	85.71	100.00

सारणी सं. 30 के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जबकि अधिकांशतः ग्रामीणों में बेरोजगारी भत्ते संबंधित जानकारी का अभाव है तो इन लोगों द्वारा इस भत्ते हेतु आवेदन नहीं करने अथवा बेरोजगारी भत्ते के नहीं मिलने की संभावनाओं से ईंकार नहीं किया जा सकता है। जैसा कि सारणी सं. 30(अ) से स्पष्ट है कि

बेरोजगारी भत्ते के बारे में एवं इसकी सरकारी दर के बारे में जानकारी रखने वाली करीब 5 प्रतिशत लोगों ने जवाब दिया कि उनमें से किसी ने भी इस भत्ते हेतु आवेदन नहीं किया जिसके कारण इन लोगों को बेरोजगारी भत्ता वितरीत नहीं किया गया। इसी तथ्य का जिलेवार अध्ययन करने पर सारणी सं. 30(ब) के अनुसार सिरोही, सवाईमाधोपुर, उदयपुर तथा टोंक जिले ऐसे पाये गये जिनमें लगभग 10 प्रतिशत ग्रामीणों ने जवाब दिया कि उन्हें बेरोजगारी भत्ते के बारे में जानकारी है। और जिन ग्रामीणों में बेरोजगारी भत्ते के बारे में जानकारी है लेकिन उनके द्वारा भत्ते हेतु आवेदन नहीं कर पाने के कारणों में यह माना जा सकता है कि शायद इन ग्रामीणों में बेरोजगारी भत्ते हेतु आवदेन प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है या फिर यह माना जा सकता है कि इन ग्रामीणों को पंचायत स्तर अथवा विभागीय स्तर पर इस भत्ते हेतु आवेदन के लिये किसी तरह का प्रोत्साहन नहीं दिया गया हो। या इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं जिसके कारण ये लोग बेरोजगारी भत्ते हेतु आवेदन नहीं कर पाये। अतः सरकार द्वारा इस बेरोजगारी भत्ते की जानकारी भी इन लोगों तक पहुंचाये जाना अति आवश्यक है ताकि काम/रोजगार की अनुपलब्धता में भी इन लोगों को आर्थिक सहायता मिल सकें।

अब अगर बात की जाये कि क्या इन ग्रामीणों को इस बात की जानकारी है कि उनके गांव का सरपंच इस योजना के तहत फर्जी मस्टरोल भरकर गांव के लोगों के नाम से सरकारी राशि उठाता है अर्थात ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाली इस तरह अव्यवस्थाओं के बारे में ग्रामीणों जानकारी है या नहीं तो सारणी सं. 31 के अनुसार लगभग 2 प्रतिशत लोगों ने जवाब दिया कि उन्हें इनके बारे में जानकारी है कि उनके गांव का सरपंच फर्जी मस्टरोल भरकर सरकारी राशि उठाता है।

सारणी संख्या 31 : फर्जी मस्टररोल भरकर सरकारी राशि का दुरुपयोग

क्या आपको मालूम है कि ग्रम पंचायत में सरपंच फर्जी मस्टररोल भरकर गांव के लोगों के नाम से सरकारी राशि उठाता है ?	व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशत
हां	8	1.73
नहीं	454	98.27
कुल योग	**462**	**100**

सारणी संख्या 31(अ) : फर्जी मस्टररोल भरकर सरकारी राशि का दुरुपयोग

अगर हां तो आपने इसे रोकने के लिये क्या किया ?	व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशत
कुछ नहीं किया	5	62.5
उच्चाधिकारियों से शिकायत की	3	37.5
कुल योग	**8**	**100**

सारणी सं. 31(अ) के अनुसार जब ग्रामीणों से पुछा गया कि इस प्रकार सरकारी राशि के दुरूपयोग की जानकारी होने पर इन लोगों ने इसे रोकने हेतु क्या प्रयास किये तो लगभग 63 प्रतिशत ग्रामीणों ने जवाब दिया कि उन लोगों ने इस हेतु कोई प्रयास नहीं किया अर्थात किसी उच्चाधिकारी से कोई शिकायत नहीं की। जिसके लिये यह माना जा सकता है कि सरपंच के ग्राम पंचायत स्तर पर सबसे बड़ा जनप्रतिनिधी होने के कारण उस ग्रामीण क्षेत्र के लोगों द्वारा सर्वेसर्वा माना जाता है जिसके कारण कोई भी ग्रामीण उसका विरोध नहीं करना चाहता है। क्योंकि वे लोग जानते हैं कि उनके द्वारा सरपंच का विरोध किये जाने पर उन्हें इसके बदले में न्याय मिलना तो दूर इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले रोजगार से भी हाथ धोना पड़ सकता है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों के ये लोग सरपंच जैसे जनप्रतिनिधी के समक्ष चुप रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं। और इसके विपरीत जब कुछ ग्रामीणों ने अर्थात

करीब 37 प्रतिशत ग्रामीणों ने इस संबंध में जानकारी नहीं होने पर उच्चाधिकारियों से शिकायत की तो उसका कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला।

12. नरेगा के तहत कार्यात्मक पद्धति :

सारणी संख्या 32 : नरेगा में किये जाने वाले कार्य की पद्वति

क्या आपके क्षेत्र में नरेगा के तहत किये जाने वाले कार्यों में मशीनों का सहयोग लिया जाता है ?	व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशत
हां	0	0.00
नहीं	462	100.00
कुल योग	**462**	**100**

सर्वे के अंतर्गत जब ग्रामीणों से यह जानने की कोशिश की गयी कि क्या उनके क्षेत्र में नरेगा के तहत किये जाने वाले कार्यों में मशीनों का उपयोग किया जाता है तो सारणी सं. 32 के अनुसार शत प्रतिशत ग्रामीणों ने जवाब दिया कि उनके कार्यक्षेत्र में नरेगा के तहत किया जाने वाला कार्य पूर्ण रूप से मानवीय श्रम पर आधारित है अर्थात इस योजना में कार्यों हेतु उनके कार्य क्षेत्र में मशीनों को उपयोग में नहीं लिया जाता है। जबकि इसके विपरीत राज्य के एक दो स्थानों से इस कार्यात्मक पद्धति के संबंध में भ्रष्टाचार की सूचनाएं भी प्राप्त हुई हैं। इन सूचनाओं के अंतर्गत ग्रामीणों तथा सरकारी प्रतिनिधियों के सहयोग से मशीनों के द्वारा एक रात में 15 दिन का कार्य किये जाना पाया गया ताकि लोगों को इस योजना के अंतर्गत 15 दिन तक कार्य नहीं करना पड़े। अतः इस प्रकार की भ्रष्टाचार संबंधी अनियमितताओं को नजर अंदाज कर देना एक बड़ी भूल होगी जो कि भविष्य में अनेक समस्याओं को पैदा कर सकती है। जिसके लिये नरेगा जैसी योजनओं में भ्रष्टाचार को रोकना अति आवश्यक है ताकि ग्रामीण लोग इस भ्रष्टाचार में लिप्त न हो सकें तथा इस योजना को बेहतर ढ़ंग से संचालित किया जा सकें।

13. निष्कर्ष :

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र द्वारा नरेगा के तहत किये गये सर्वे के अंर्तगत प्राप्त परिणामों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :–

सर्वे से प्राप्त परिणामों के अनुसार 37 प्रतिशत से अधिक ग्रामीणों में विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी का अभाव पाया गया। जबकि नरेगा जैसी विस्तृत योजना के संबंध में लगभग 53 प्रतिशत ग्रामीणों में जानकारी का अभाव पाया गया।

- नरेगा के तहत दिये जाने वाले 100 दिन के रोजगार के बारे में लगभग 24 प्रतिशत ग्रामीणों में जानकारी का अभाव पाया गया।
- सर्वे के अनुसार लगभग 61 प्रतिशत ग्रामीणों ने नरेगा योजना के अंतर्गत एक वर्ष में दिये जाने वाले रोजगार के दिनों की संख्या को 100 से ज्यादा (लेकिन 200 दिनों से कम) होने की आवश्यकता व्यक्त की तथा लगभग 38 प्रतिशत ग्रामीणों ने इस योजना के तहत एक वर्ष में 200 से अधिक दिनों के रोजगार की आवश्यकता व्यक्त की।

- सर्वे के अनुसार नरेगा योजना में काम हेतु आवेदन करने वाले ग्रामीणों द्वारा अप्रेल से जून तक तीन माह की अवधि में आवेदन 68 प्रतिशत पाया गया। इस योजना में काम हेतु आवेदन करने वाले ग्रामीणों में से लगभग 88 प्रतिशत ग्रामीणो को आवेदन 15 दिन की अवधि में काम उपलब्ध करवा दिया गया। लेकिन लगभग 12 प्रतिशत ग्रामीणों को आवेदन के 15 दिन के बाद रोजगार मिला। लगभग 48 प्रतिशत ग्रामीणों में इस जानकारी का अभाव पाया गया कि नरेगा के तहत निर्धारित नियमों के अनुसार आवेदन के 15 दिन के भीतर आवेदक को रोजगार उपलब्ध करवाना आवश्यक है।
- नरेगा में काम हेतु आवेदन करने वाले ग्रामीणों में से लगभग 34 प्रतिशत ग्रामीणों को इस योजना में 100 से कम दिन का रोजगार मिलना पाया गया। जबकि 5 प्रतिशत ग्रामीणों को इस योजना के अंर्तगत आवेदन करने के बाद भी काम नहीं दिया गया।
- सर्वे के अनुसार नरेगा में काम करने वाले कुल ग्रामीणों में से लगभग 77 प्रतिशत ग्रामीणों को काम करने के 15 दिन बाद भुगतान दिया गया जो कि ग्रामीणों द्वारा भुगतान प्राप्ति में होने वाली सबसे बड़ी समस्या बतायी गयी। लगभग 13 प्रतिशत ग्रामीणों को नरेगा योजना के अंतर्गत दिये जाने वाला भुगतान ग्रामसेवक अथवा पटवारी के द्वारा वितरीत किया गया जो कि नरेगा योजना के अंतर्गत नियमों में नहीं है।
- लगभग 32 प्रतिशत ग्रामीणों में नरेगा योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के संबंध में कोई जानकारी नहीं पायी गयी। जबकि इसके बारे में जानकारी रखने वाले 68 प्रतिशत ग्रामीणों में से लगभग 49 प्रतिशत से अधिक ग्रामीणों ने यह मजदूरी दर 73 रू. होना बताया जो कि गत वर्ष सरकार द्वारा नरेगा के अंतर्गत निर्धारित मजदूरी राशि थी।
- सर्वे के अंतर्गत पाया गया कि लगभग 69 प्रतिशत से अधिक ग्रामीणों को इस योजना के तहत मजदूरी 80 रू. या इससे भी कम राशि वितरीत की गयी है जिसमें से लगभग 20 प्रतिशत ग्रामीणों को यह मजदूरी 51 से 60 रू. के बीच वितरीत की गयी है जबकि सरकार द्वारा नरेगा योजना में निर्धारित न्युनतम मजदूरी राशि 100 रू. है।
- सर्वे के अंतर्गत नरेगा में लगभग शत प्रतिशत क्षेत्रों में महिला श्रमिकों का प्रतिशत 50 से अधिक पाया गया जिनमें 88 प्रतिशत से अधिक ग्रामीणों के मतानुसार महिला श्रमिकों अपने साथ छोटे बच्चों को कार्यस्थल पर साथ लाती हैं। लेकिन लगभग 56 प्रतिशत ग्रामीणों ने बताया कि इन महिला श्रमिकों के छोटे बच्चों की देखभाल हेतु कार्यस्थल पर किसी महिला की व्यवस्था नहीं की जाती है।
- बेरोजगारी भत्ते से संबंधित परिणामों की चर्चा करने पर लगभग 95 प्रतिशत ग्रामीणों में इसके बारे में जानकारी का अभाव पाया गया।
- लगभग 2 प्रतिशत ग्रामीणों में सरपंच द्वारा फर्जी मस्टरोल भरकर सरकारी राशि को दुरूपयोग किये जाने की जानकारी होना पाया गया।

BARC Team	:	Dr. Subrata Dutta Nagendra Singh Khangarot Nishtha Sharma Mukesh Kumar Bansal Ragini Sharma Radha Mohan Jogi Sita Ram Meena
Adviser	:	Dr. Ginny Shrivastava

Budget Links Policy to People and People to Policy

Budget Analysis Rajasthan Centre (BARC)

P-1, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur - 302 005

Tel. / Fax : (0141) 238 5254

E-mail : info@barcjaipur.org

Website : www.barcjaipur.org

Printed at : Kalpana Offset-JPR, M. : 98281-50395